

आवास परिपत्र
(अठारहवीं लोक सभा)

ACCOMMODATION CIRCULAR
(EIGHTEENTH LOK SABHA)

लोक सभा सचिवालय
LOK SABHA SECRETARIAT

ज्येष्ठ, १९४६ (शक) / May, २०२४

फा.सं. 2/1/24/एमएस
लोक सभा सचिवालय
(एमएस शाखा)

संसदीय सौध
नई दिल्ली-110 001
दिनांक: मई, 2024

प्रेषक

वाई.एम. कांडपाल
संयुक्त सचिव
सदस्य सेवा

प्रेषिती

लोक सभा के सभी सदस्य

विषय: 18वीं लोक सभा के सदस्यों को आवासों का आवंटन।

महोदय/महोदया,

अठारहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-एक) के अनुसार रिहायशी आवास के आवंटन/परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। संसद सदस्यों को आवंटित किए जाने के लिए निर्धारित आवास का एक विवरण संलग्न है। (अनुबंध-दो)

अस्थायी आवास

2. चूंकि ऐसा संभव है कि लोक सभा सदस्य पूल के आवास 18वीं लोक सभा के सदस्यों को तत्काल आवंटित किए जाने के लिए खाली/रहने योग्य न हों, अतः जब तक नियमित आवास उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक अस्थायी आवास के रूप में राज्य अतिथि गृहों/भवनों वेस्टर्न कोर्ट/होस्टल/एनेक्सी एवं वी.पी. हाउस आदि में किराया मुक्त सिंगल कमरे की व्यवस्था की गई है। तथापि, सदस्यों को भोजन और अन्य अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा। जब तक सदस्य को आवंटित नियमित आवास निर्धारित मानकों के अनुसार रहने योग्य नहीं बन जाता, तब तक के लिए अस्थायी आवास के किराए का भुगतान संपदा निदेशालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अस्थायी आवास में आवश्यकता से अधिक समय तक रहने का किराया और अन्य प्रभार सदस्यों को स्वयं देना होगा।

नियमित आवास

3. लोक सभा की आवास समिति द्वारा लोक सभा सदस्य पूल से आवास के आवंटन के संबंध में निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार सदस्यों को विट्टलभाई पटेल हाउस में नियमित होस्टल आवास, फ्लैट और बंगले आवंटित किए जाते हैं। आवास के लिए आवेदन करते समय दो अथवा दो से अधिक प्राथमिकताएं बताई जाएं ताकि आवास समिति को आवंटन के बारे में निर्णय लेने में सुविधा हो। तथापि, वांछित आवास के आवंटन का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। किसी आवास के कब्जे के बारे में किसी पूर्व-सदस्य और नवनिर्वाचित सदस्य के बीच हुई किसी अनौपचारिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नवनिर्वाचित सदस्य को परिहार्य विस्थापन और असुविधा से बचने के लिए आवास समिति द्वारा किया गया आवंटन ही वैध होगा।

4. विट्टलभाई पटेल हाउस में सदस्य के पास विकल्प होता है कि वह उपलब्धता के आधार पर एक डबल और एक सिंगल सुइट या तीन सिंगल सुइट को नियमित आवंटन के रूप में ले सकता है।

5. आवास तथा टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथासंशोधित) में किए गए उपबंधों के अनुसार सदस्यों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बिना होस्टल/फ्लैट आवास का आवंटन किया जाता है। आवास समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिन पात्र सदस्यों को बंगले का आवंटन किया जाता है उन्हें सामान्य दर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि उस बंगले में कार्यालय खंड है तो उसके लिए अतिरिक्त किराए का भुगतान करना होगा।

6. किराए तथा अन्य प्रभारों की कटौती सामान्यतः सदस्यों के वेतन/टीए/डीए में से की जाएगी। किसी आवास का कब्जा लेने से पहले सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों के बारे में वचन देना होगा कि वे:-

(एक) सरकार को देय समस्त राशि का भुगतान समय-समय पर अपने वेतन/यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते से कटौती द्वारा अथवा नगद रूप में करेंगे/करेंगी। देय भुगतान न करने की स्थिति में आवंटन रद्द किया जा सकता है।

(दो) संसद सदस्य सहित किसी अन्य व्यक्ति को आवास किराए पर नहीं देंगे/देगी अथवा उसे अपने साथ नहीं रखेंगे/रखेंगी।

(तीन) आवास और उसके आस-पास के स्थान के समुचित रख-रखाव से संबंधित नियमों का पालन करेंगे/करेंगी।

7. लोक सभा सदस्य पूल और किराया देयता के तहत आवंटित आवास को सौंपने/लेने की प्रक्रिया *अनुबंध-तीन और चार* में दी गई है।

8. **स्टाफ क्वार्टर और मोटर गैराज** — जिन सदस्यों को एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, मोटर गैराज और स्टाफ क्वार्टरों की आवश्यकता हो, वे निर्धारित प्रपत्रों (*अनुबंध-पांच से छह*) में आवेदन कर सकते हैं। ये प्रपत्र लोक सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या संसदीय सौध स्थित, लोक सभा सचिवालय की सदस्य सेवा शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं। मोटर गैराज का आवंटन सदस्य के अपने नाम पर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति देने पर ही किया जाता है। मोटर गैराजों और स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन आवेदन की तिथि के अनुसार तथा आवास समिति के सभापति के निदेश से किया जाएगा।

9. सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर विशेष रूप से दिलाया जाता है कि उन्हें आवंटित किया गया आवास मुख्यतया सदस्यों और उनके परिवारजनों के लिए ही है। परिवार में पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो, और बच्चे, सौतेले बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिये बच्चे, माता-पिता, भाई अथवा बहन, जो साधारणतया सदस्य के साथ रहते हों, और उन पर आश्रित हों, सम्मिलित हैं।

10. यदि आवास समिति को यह पता चलता है कि किसी सदस्य ने दिल्ली में अपनी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के दौरान अपना आवास किराए पर दिया है अथवा अपने आवंटित आवास, स्टाफ क्वार्टर और गैराज में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ठहरने हेतु दिया है तो इस मामले को माननीय सभापति, आवास समिति, लोक सभा/माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए, जिसे वह आवश्यक समझें, भेज दिया जाएगा।

नियमित आवास का प्रतिधारण

11. (एक) लोक सभा सदस्य अथवा उनके परिवारजन कार्यकाल समाप्त होने अथवा त्यागपत्र दिए जाने/हटाए जाने अथवा/अन्यथा लोक सभा का सदस्य न रहने पर आवास में अधिक से अधिक एक माह तक उसी किराए पर, यदि कोई हो, जो वे उक्त घटनाओं में से किसी को घटित होने से पूर्व दे रहे थे, रह सकते हैं।

(दो) किसी सदस्य का निधन हो जाने पर दिवंगत सदस्य का परिवार सरकारी आवास में ऐसे किराए, यदि कोई हो, जो सदस्य के निधन से पूर्व लिया जा रहा था, की अदायगी पर निधन की तिथि से 6 माह की अवधि तक रह सकता है।

टेलीफोन सुविधाएं

12. आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम 1956 (यथासंशोधित) के अंतर्गत, सदस्य, नई दिल्ली और अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा अपने सामान्य निवास स्थान के लिए कुल तीन लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन और दो मोबाइल कनेक्शन के लिए हकदार हैं। सदस्य एक वर्ष में इन सभी टेलीफोन कनेक्शनों पर 1,50,000 निःशुल्क स्थानीय कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्य ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 1500 रुपये प्रतिमाह की निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, कोई सदस्य माननीय सदस्यों को प्रतिवर्ष दी जा रही 1,50,000 के निःशुल्क कॉलों के कोटे में से 10,000 कॉल्स छोड़ने के बदले 1 एमबीपीएस अनलिमिटेड डाउनलोड स्पीड के साथ अतिरिक्त ब्रॉडबैंड सुविधा ले सकता है। सदस्य अपने आवास पर फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच) पर वाई-फाई सुविधा से युक्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्राप्त करने का हकदार है तथा वह प्रतिमाह 2200 रुपये का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा तथा इसका भुगतान सीधे एमटीएनएल को इस सुविधा के प्रभार के रूप में किया जायेगा। टेलीफोन सुविधाओं के आवेदन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र *अनुबंध-सात एवं दस* में दिए गए हैं।

13. सदस्यों के अनुरोध पर, एमटीएनएल अस्थायी आवास में एक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करेगा और किए गए टेलीफोन कॉलों को आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अनुमति प्रदान की गई कुल निःशुल्क कॉलों में से समायोजित किया जाएगा।

14. सदस्यों के लिए उपलब्ध आवास आदि से संबंधित अन्य सुविधाओं का उल्लेख *अनुबंध-आठ* में है। जिन सदस्यों को एसी, रेफ्रिजरेटर आदि की आवश्यकता है, वे निर्धारित प्रपत्र (*अनुबंध-नौ*) पर आवेदन कर सकते हैं।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन अवर सचिव, सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं० 422, संसदीय सौध को 15 जून, 2024 तक भेज दें। जिन सदस्यों के अनुरोध उक्त तिथि तक प्राप्त हो जाएंगे, आवास समिति/लोक सभा सचिवालय ऐसे सदस्यों के लिए आवास के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा।

16. इस परिपत्र के जारी होने से पहले लोक सभा सचिवालय में रिहायशी आवास के लिए सदस्यों से प्राप्त सभी अनुरोधों पर साधारणतया विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के उत्तर में निर्धारित प्रपत्रों में पुनः आवेदन करें।

भवदीय,

ह०/-

(वाई.एम. कांडपाल)

संयुक्त सचिव

सदस्य सेवा

अनुबंध एक

(देखें आवास परिपत्र मई, 2024 का पैरा-1)

लोक सभा सदस्यों के रिहायशी नियमित आवास के आवंटन हेतु आवेदन—पत्र
APPLICATION FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL REGULAR
ACCOMMODATION TO MEMBERS OF LOK SABHA

1. सदस्य का नाम/Name of the Member.....
(मोटे अक्षरों में/in block letters)
2. निर्वाचन क्षेत्र/Constituency.....
(मोटे अक्षरों में/in block letters)
3. राज्य/State.....
4. क्या सदस्य किसी निम्नलिखित पद पर रहा है/Whether the Member has been a

			से / From		तक / To		कुल अवधि Total Period
			वर्ष / Year	माह / Month	वर्ष / Year	माह / Month	
(i)	केन्द्र में केबिनेट स्तर के मंत्री / Cabinet Minister in the Centre	हां / Yes नहीं / No					
(ii)	केन्द्र में राज्य मंत्री / Minister of State in the Centre	हां / Yes नहीं / No					
(iii)	केन्द्र में उपमंत्री / संसदीय सचिव Deputy Minister / Parliamentary Secretary in the Centre	हां / Yes नहीं / No					
(iv)	मुख्य मंत्री / Chief Minister	हां / Yes नहीं / No					
(v)	राज्यपाल / Governor	हां / Yes नहीं / No					
(vi)	लोक सभा अध्यक्ष / Speaker, Lok Sabha	हां / Yes नहीं / No					
(vii)	उप-सभापति, राज्य सभा / Deputy Chairman, Rajya Sabha	हां / Yes नहीं / No					
(viii)	लोक सभा उपाध्यक्ष / Deputy Speaker, Lok Sabha	हां / Yes नहीं / No					
(ix)	अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल / Speaker, State Legislature	हां / Yes नहीं / No					

			से / From		तक / To		कुल अवधि Total Period
			वर्ष / Year	माह / Month	वर्ष / Year	माह / Month	
(x)	उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश / Chief Justice / Justice of Supreme Court	हां / Yes नहीं / No					
(xi)	राजनयिक (पद) / Diplomat (Position)	हां / Yes नहीं / No					
(xii)	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश / Chief Justice / Justice of High Court	हां / Yes नहीं / No					
(xiii)	संसद / राज्य विधान मंडल में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता / Recognised Opposition Leader in Parliament / State Legislature	हां / Yes नहीं / No					
(xiv)	उप मुख्यमंत्री / Deputy Chief Minister	हां / Yes नहीं / No					
(xv)	राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री / Cabinet Minister in State	हां / Yes नहीं / No					
(xvi)	राज्य में राज्य मंत्री / Minister of State in State	हां / Yes नहीं / No					
(xvii)	राज्य में उपमंत्री / संसदीय सचिव / Deputy Minister / Parliamentary Secretary in State	हां / Yes नहीं / No					
(xviii)	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता / National Award Winner	हां / Yes नहीं / No					
		पुरस्कार निर्दिष्ट करें / Specify the award					
(xix)	कोई अन्य संवैधानिक पद / Any other Constitutional Position	हां / Yes नहीं / No					

5. सदस्य लोक सभा/राज्य सभा के लिए कितनी बार निर्वाचित हुआ कुल कार्यकाल
For how many terms the member has been elected to Total period
Lok Sabha and /or Rajya Sabha.
6. (i) गत लोक सभा के दौरान आवास का ब्यौरा, यदि कोई उनके पास था
Details of accommodation, if any, occupied during the term of last Lok Sabha/
Rajya Sabha
- (ii) क्या मिला हुआ आवास वापस किया था या अभी भी कब्जे में है
Whether the accommodation occupied was vacated or is being retained
.....
- (iii) यदि खाली करना है तो कृपया तारीख बतायें
If not vacated, Date of likely vacation, if any,.....
7. रिहायशी नियमित आवास क्षेत्र का वरीयता क्रम अर्थात्, लोक सभा पूल में अपेक्षित आवासीय क्षेत्र (बशर्ते कि पात्रता हो/आवास उपलब्ध हो)
Order of preference of areas where residential regular accommodation is desired from Lok Sabha MP's Pool:
(Subject to entitlement/availability)
पहली वरीयता/First Preference
दूसरी वरीयता/Second Preference
तीसरी वरीयता/Third Preference
8. क्या संसद सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य का संसद भवन से 6 मील की परिधि में कोई अपना मकान है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
Whether the Member or any member of his family has a house in his/her name within a radius of 6 miles from the Parliament House, if so, the details thereof.
9. सदस्य द्वारा प्रमाण-पत्र/Certificate from the Member:
मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि/I Certify that—
- (i) मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त ब्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है।
The details given above by me are true to the best of my knowledge and belief.
- (ii) मैंने वे नियम जिनके अधीन संसद सदस्यों को लोक सभा पूल से आवास आवंटित किए जाते हैं, पढ़ लिए हैं और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
I have read the rules under which residences from the Lok Sabha MP's Pool are allotted to Members of Parliament (Lok Sabha) and agree to abide by them.
- (iii) आवेदित आवास मेरे तथा मेरे परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए चाहिये।
The residence applied for is required for my use and the use of members of my family.
- (iv) मैं आवास समिति के सभापति को लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना अपना आवास किसी संसद सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को न तो किराये पर दूंगा/दूंगी और न ही साझेदारी में रहूंगा/रहूंगी।
I will not sublet or share the residence with any other person, whether a Member of Parliament or otherwise, without the prior permission in writing of the Hon'ble Chairperson, House Committee / Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

- (v) मैं वचन देता/देती हूँ कि आवास समिति द्वारा नियमित आधार पर आबंटित स्थायी आवास के मिल जाने के 14 दिनों के भीतर अपना अस्थायी आवास खाली कर दूंगा/दूंगी।

I undertake to vacate the Transit accommodation allotted to me within 14 days after I physically occupy the regular accommodation allotted to me by the House Committee on a regular basis.

दिनांक/Date.....

.....

(सदस्य का हस्ताक्षर/

Signature of the Member)

पहचान पत्र सं./

Identity Card No.

सेवा में/To

निदेशक/Director

लोक सभा सचिवालय/Lok Sabha Secretariat

नई दिल्ली/New Delhi

-
- नोट : 1. सदस्य द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार एक बार आवास समिति द्वारा आबंटित आवास तब तक नहीं बदला जायेगा जब तक सभी संसद सदस्यों को नियमित आवास आबंटित न हो जाये।
2. लोक सभा सदस्य पूल के आवास के ब्यौरे के लिए कृपया आवास संबंधी परिपत्र को देखें।

- Note: 1. Accommodation once allotted by the House Committee will not be changed till all the Members are allotted regular accommodation.
2. For details of accommodation in Lok Sabha MPs Pool, please refer to the Accommodation Circular.

अनुबंध दो

(देखें आवास परिपत्र – मई 2024 का पैरा 1)

लोक सभा संसद सदस्य पूल से संसद सदस्यों को आबंटन के लिए उपलब्ध आवासों का विवरण

बंगले और फ्लैट्स			
क्रम सं.	आवास	कुल इकाई	
1.	बंगले	153	
2.	टाईप VII - डुप्लेक्स फ्लैट्स (नॉर्थ एवेन्यू)	32	
3.	टाईप VII - फ्लैट्स (गंगा, यमुना, सरस्वती, डीडीयू मार्ग)	110	
4.	टाईप VI - एमएस फ्लैट्स (गोमती, सिंधु)	41	
5.	टाईप VI - एमएस फ्लैट्स (नर्मदा, कावेरी)	51	
6.	टाईप V - ट्विन फ्लैट्स	नॉर्थ एवेन्यू	13
		साउथ एवेन्यू	23
7.	टाईप V – फ्लैट्स		199
	कुल		622
	*वी.पी. हाउस (हॉस्टल टाईप आवास) (सिंगल-54 और डबल-20) (31 इकाईयों के एकल नियमित आवास के तरह व्यवहृत) + (एक अतिरिक्त एकल सुइट)		74

*वीपी हाउस - 1 डबल + 1 सिंगल या 3 सिंगल = 1 नियमित इकाई

54 सिंगल
 20 डबल

} = 31 नियमित इकाई : 1 अतिरिक्त

स्टाफ क्वार्टर और मोटर गैराज

क्र. सं.	क्षेत्र	स्टाफ क्वार्टर की कुल इकाई	मोटर गैराज की कुल इकाई
1.	नॉर्थ-एवेन्यू (पुराना)	78	24
	(एन-ब्लॉक)	19	23
2.	साउथ एवेन्यू (पुराना)	98	31
	(एस-ब्लॉक)	5	12
3.	बी.पी. हाउस	34	15
4.	फिरोजशाह रोड	44	9
5.	केनिंग लेन	1	5
6.	डॉ. आर.पी. रोड	15	2
7.	आराम बाग	5	
8.	मीना बाग		15
9.	काली बाड़ी मार्ग	2	
10.	रवीन्द्र नगर		1
	कुल	301	137

बंगलों/फ्लैटों का प्रकार एवं क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	श्रेणी/टाईप	क्षेत्र	कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा हेतु आवास
1.	टाईप-VIII-बंगला	अशोक रोड	2	16, 23
	कुल		2	
2.	टाईप-VII-बंगला	बलवंत राय मेहता लेन	5	1, 7, 11-ए, 17, 23
		पं. रविशंकर शुक्ल लेन (केनिंग लेन)	2	40, 42
		जीआरजी रोड	5	18, 22, 24, 30, 38
		कामराज लेन	2	2, 7
		लोधी एस्टेट	8	14, 17, 21, 47, 81, 85, 91, 100
		मथुरा रोड	1	एबी-18
		मदर टेरेसा क्रैसेंट	2	18, 20
		पंडारा रोड	2	एबी-9, एबी-11
		पं. पंत मार्ग	4	2, 7, 9, 11-ए
		सफदरजंग लेन	1	7
		शाहजहाँ रोड	4	एबी-90, एबी-91, एबी-94, एबी-95
		साउथ एवेन्यू लेन	1	4
		तीन मूर्ति लेन	4	2, 6, 13, 19
		तीन मूर्ति मार्ग	1	12
		तिलक मार्ग	2	एबी-11, एबी-13
		तुगलक लेन	1	12
	कुल		45	
3.	टाईप-VII-डुप्लेक्स फ्लैट्स	नॉर्थ एवेन्यू	32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	कुल		32	

क्र.सं.	श्रेणी/टाईप	क्षेत्र	कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा हेतु आवास
4.	टाईप-VII-फ्लैट	गंगा	24	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202
		यमुना	26	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302
		सरस्वती	26	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302
		डीडीयू मार्ग (बी1 टॉवर)	34	ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7, ए-8, ए-9, ए-10, ए-11, ए-12, ए-13, ए-14, ए-15, ए-16, ए-17, बी-1, बी-2, बी-3, बी-4, बी-5, बी-6, बी-7, बी-8, बी-9, बी-10, बी-11, बी-12, बी-13, बी-14, बी-15, बी-16, बी-17 (ए-17 एवं बी-17 आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हैं)
	कुल		110	
5.	टाईप-VI-बंगला	अशोक रोड	1	34
		अतुल ग्रोव रोड	1	30-ए
		पं. रविशंकर शुक्ला लेन (केनिंग लेन)	12	5, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31
		फिरोजशाह रोड	11	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 31, 33
		जीआरजी रोड	6	2, 5, 8, 9, 10, 19
		हुमायूं रोड	4	सी-1/3, सी-1/7, सी-1/15, सी-1/20
		एचसी माथुर लेन	4	1, 3, 7, 9
		जनपथ	4	14, 18, 20, 22
		लोधी गार्डन	2	सी-1/5, सी-1/13
		महादेव रोड	12	2, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28
		पंडारा पार्क	8	सी-1/2, सी-1/8, सी-1/15, सी-1/19, सी-1/20, सी-1/27, सी-1/31, सी-1/40
		डॉ. आरपी रोड	6	18, 20, 22, 24, 26, 30
		तालकटोरा रोड	4	5, 8, 9, 10
		तालकटोरा लेन	2	1, 2-सी
		टेलीग्राफ लेन	1	4-ए
		तिलक मार्ग	1	सी-1/1
		तिलक लेन	2	सी-1/7, सी-1/10
		विंडसर प्लेस	10	4, 6, 11, 12, 12-ए, 14, 17, 18, 19, 20
	कुल		90	

क्र.सं.	श्रेणी/टाईप	क्षेत्र		कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा हेतु आवास
6.	टाईप-VI-फ्लैट्स	गोमती		23	बी-104, बी-201, बी-203, बी-204, बी-301, बी-302, बी-304, बी-401, बी-402, बी-403, बी-404, बी-501, बी-502, बी-503, बी-504, बी-601, बी-602, बी-603, बी-604, बी-701, बी-702, बी-703, बी-704
		सिंधु		18	ए-1, ए-3, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7, बी-2, बी-7, सी-1, सी-2, सी-3, सी-4, सी-6, सी-7, डी-1, डी-2, डी-4, डी-6
	कुल			41	
7.	टाईप-VI-एमएस फ्लैट्स	नर्मदा		26	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703, 704, 801, 802, 803, 804
		कावेरी		25	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 701, 702, 703, 704, 801, 802, 803, 804
	कुल			51	
8.	टाईप-V-ट्विन फ्लैट्स	नॉर्थ एवेन्यू	V (ए/ए)	13	80-82, 104-106, 107-109, 108-110, 123-125, 124-126, 152-154, 156-158, 155-157, 167-169, 168-170, 179-181, 180-182
		साउथ एवेन्यू	V (बी/बी)	23	1-3, 2-4, 15-17, 16-18, 27-29, 28-30, 33-35, 37-39, 43-45, 44-46, 47-49, 48-50, 101-103, 115-117, 116-118, 127-129, 128-130, 143-145, 144-146, 147-149, 148-150, 171-172, 203-204
	कुल			36	
9.	टाईप-V-बंगला	अशोक रोड		5	38, 40, 42, 44, 50
		फ़िरोज़शाह रोड		10	12-ए, 12-सी, 12-डी, 13, 13-ए, 13-ई, 14-बी, 14-सी, 14-ई, 16-ए
		महादेव रोड		1	15
	कुल			16	
10.	टाईप-V-फ्लैट्स	रवीन्द्र नगर	V (बी)	3	डी-1/35, डी-1/51, 29
		तिलक लेन	V (डी)	2	सी-II/5, सी-II/32
		मीना बाग	V (सी)	21	1, 8, 9, 10, 11, 12-ए, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 44
		नॉर्थ एवेन्यू	V (ए)	2	96, 196
			V (बी)	85	65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 114, 115, 118,

क्र.सं.	श्रेणी/टाईप	क्षेत्र		कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा हेतु आवास
					122, 127, 128, 130, 132, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 197, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227
		साउथ एवेन्यू	V (बी)	63	5, 6, 10, 13, 14, 20, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 56, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 125, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 142, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 180, 186, 189 (124, 153, 155 आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हैं)
			V (सी)	22	22, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 173, 175, 178, 182, 184, 185, 187, 188, 201, 203
	कुल			199	
11.	होस्टल टाईप	बी.पी. हाउस	डबल सुइट	20	6, 7, 114, 121, 128, 213, 214, 221, 227, 228, 306, 313, 321, 327, 328, 413, 421, 506, 520, 521
			सिंगल सुइट	54	2, 3, 9, 10, 15, 25, 26, 109, 110, 117, 119, 125, 126, 201, 202, 205, 208, 210, 212, 215, 216, 217, 219, 224, 225, 308, 309, 311, 312, 315, 318, 319, 322, 323, 324, 401, 408, 409, 412, 417, 423, 424, 425, 501, 508, 509, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 524, 525

फ्लैटों का क्षेत्र-वार विवरण

टाईप V (ए)	—	ड्राइंग रूम + एक बेड रूम सेट
टाईप V (बी)	—	ड्राइंग रूम + दो बेड रूम सेट
टाईप V (सी)	—	ड्राइंग रूम + तीन बेड रूम सेट
टाईप V (डी)	—	ड्राइंग रूम + चार बेड रूम सेट
संयुक्त फ्लैट टाईप V (ए/ए)	—	दो ड्राइंग रूम और दो बेड रूम सेट
संयुक्त फ्लैट प्रकार V (ए/बी)	—	दो ड्राइंग रूम और तीन बेड रूम सेट
संयुक्त फ्लैट टाईप V (बी/बी)	—	दो ड्राइंग रूम और चार बेड रूम सेट
हॉस्टल टाईप	—	वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल और विठ्ठलभाई पटेल हाउस में सिंगल और डबल रूम सेट
टाईप VI - एमएस फ्लैट - नर्मदा और कावेरी (डॉ. बी.डी. मार्ग)	—	ड्राइंग + तीन बेडरूम + एक ऑफिस रूम + दो स्टाफ क्वार्टर + एक मोटर गैराज
टाईप VI - एमएस फ्लैट - गोमती और सरस्वती (बीकेएस मार्ग)	—	ड्राइंग + तीन बेड रूम + दो स्टाफ क्वार्टर + एक मोटर गैराज
टाईप VII (डीडीयू मार्ग)	—	ड्राइंग + चार बेड रूम + पारिवारिक लाउंज + भोजन कक्ष + संलग्न शौचालय के साथ एक कार्यालय + दो स्टाफ क्वार्टर
टाईप VII (गंगा, यमुना, सरस्वती)	—	ड्राइंग + तीन बेड रूम + एक अतिथि कक्ष + एक परिवार के बैठने की जगह + एक कार्यालय + दो स्टाफ क्वार्टर + दो मोटर गैराज

स्टाफ क्वार्टरों का क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा के लिए आवास
1.	नॉर्थ एवेन्यू	78	50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174
2.	नॉर्थ एवेन्यू (एन-ब्लॉक)	19	एन-4, एन-8, एन-10, एन-11, एन-12, एन-15, एन-16, एन-17, एन-18, एन-19, एन-20, एन-21, एन-22, एन-23, एन-24, एन-25, एन-26, एन-27, एन-28
3.	साउथ एवेन्यू	98	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 101, 102, 103, 105, 106, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 156, 158, 159, 161

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा के लिए आवास
4.	साउथ एवेन्यू (एस-ब्लॉक)	5	एस-2, एस-3, एस-4, एस-5, एस-6
5.	वी.पी. हाउस	34	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 63, 64, 66
6.	फिरोजशाह रोड	44	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67
7.	कैनिंग लेन	1	2
8.	डॉ. आर.पी. रोड	15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (22ए जनपथ के पीछे), 12 (21ए जनपथ के पीछे), 13, 14, 29
9.	आराम बाग	5	8-ई, 14-ई, 27-एच, 55-एच, 33-ए
10.	काली बाड़ी मार्ग	2	226, जे-901

मोटर गैराजों का क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	कुल इकाइयाँ	18वीं लोक सभा के लिए आवास
1.	नॉर्थ एवेन्यू	24	13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 102, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125
2.	नॉर्थ एवेन्यू (एन-ब्लॉक)	23	एन-4, एन-5, एन-7, एन-8, एन-10, एन-13, एन-14, एन-15, एन-16, एन-17, एन-18, एन-19, एन-20, एन-21, एन-22, एन-23, एन-25, एन-26, एन-27, एन-29, एन-30, एन-31, एन-33
3.	साउथ एवेन्यू	31	2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120
4.	साउथ एवेन्यू (एस-ब्लॉक)	12	एस-1, एस-3, एस-5, एस-6, एस-7, एस-9, एस-10, एस-11, एस-12, एस-13, एस-15, एस-16
5.	वी.पी. हाउस	15	1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26
6.	कैनिंग लेन	5	76, 77, 78, 79, 84
7.	फिरोजशाह रोड	9	54, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 74, 75
8.	डॉ. आर.पी. रोड	2	8, 10
9.	रवीन्द्र नगर	1	82
10.	मीना बाग	15	1, 2-बी, 6, 7, 8, 10-ए, 11, 13, 14-ए, 15, 15-ए, 16, 17, 21, 22

अनुबंध तीन

(देखें आवास परिपत्र – मई, 2024 का पैरा 7)

बंगलों/फ्लैटों/होस्टल का कब्जा सौंपने/लेने की प्रक्रिया

बंगलों/फ्लैटों/होस्टलों का कब्जा सौंपना

(एक) जब सदस्य को आवंटित नियमित आवास जिसमें अतिथियों के ठहराने, विवाह के प्रयोजन के लिए जिसमें आवंटित अस्थायी आवास, स्टाफ क्वार्टर/गैरेज भी शामिल है, को छोड़ना हो, तो इस खाली आवास का कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालय अथवा संबंधित होस्टल के स्वागत अधिकारी, जैसे भी मामला हो, को सौंप दिया जाना चाहिये। सदस्य जब तक ऐसे खाली आवास का कब्जा नहीं सौंप देता है तब तक यह आवास उसके आधिपत्य में ही माना जाएगा। व्यवहारिक अथवा कानूनी तौर पर सदस्य के कब्जे के दौरान आवास में दी गई सरकारी सम्पत्ति की यदि कोई हानि अथवा क्षति होती है, तो उसके लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(दो) परिसर/आवास का कब्जा देने/खाली करने की प्रस्तावित तारीख और समय की सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा को पर्याप्त समय पूर्व दी जाएगी।

(तीन) जिस सदस्य के नाम परिसर आवंटित है उसे यथासंभव स्वयं ही केन्द्रीय लोक निर्माण सेवा केन्द्र को परिसर का कब्जा सौंपना चाहिए। यदि सदस्य उस परिसर का कब्जा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपना चाहता है तो परिसर का कब्जा सौंपने और फर्नीचर में कमी (यदि कोई हो) की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिनिधि के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, उसे प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र भेजा जाना चाहिए।

(चार) सदस्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्र से आवास खाली करने संबंधी पत्र जारी कराने के लिए संपर्क करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए:-

(क) उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्/अन्य संबंधित एजेंसी से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्/अन्य संबंधित एजेंसी से विद्युत और पानी का कनेक्शन कटवा लेना चाहिए और कनेक्शन कटवाने के बाद विद्युत और जल प्रभार के अद्यतन भुगतान के संबंध में एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

(ख) उन्हें एअर कंडीशनिंग प्रभाग, के.लो.नि.वि. से किराये पर लिये गये एअर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि वापस करने चाहिए और उन्हें बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार गीजर और ब्लोअर आदि सहित विद्युत फिटिंग्स/फिक्स्चर के संबंध में भी विद्युत प्रभाग, के.लो.नि.वि. से नो डिमांड प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

(ग) उन्हें के.लो.नि. विभाग से लिये गये फर्नीचर को संबंधित सेवा केन्द्र को वापस करना चाहिए और सेवा केन्द्र से इस बारे में इस आशय का अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि फर्नीचर में किसी भी प्रकार की कमी का पता चलता है तो के.लो.नि. विभाग सेवा केन्द्र द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिस पर सदस्य को हस्ताक्षर करने होंगे और आवास खाली करते समय वह इसे के.लो.नि. विभाग के प्रतिनिधि को सौंपेगा।

(घ) उन्हें इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से पीएनजी कनेक्शन कटवा देना चाहिए और कनेक्शन कटवाने के बाद उपभोग प्रभार के अद्यतन भुगतान के संबंध में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

(पांच) उक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् सदस्य स्टाफ क्वार्टर और मोटर गैरेज सहित खाली किये गये फ्लैट/बंगले का कब्जा संबंधित के.लो.नि. विभाग सेवा केन्द्र को सौंपेगा।

(छह) के.लो.नि. विभाग सेवा केन्द्र उक्त औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् आवास खाली किये जाने संबंधी रिपोर्ट जारी की जाएगी।

बंगलों/फ्लैटों/होस्टलों का कब्जा लेना

(एक) जब किसी संसद सदस्य को कोई बंगला या फ्लैट या होस्टल आवास का आवंटन किया जाना है तो उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित पूछ-ताछ कार्यालय और वेस्टर्न कोर्ट के मामले में वेस्टर्न कोर्ट होस्टल के अधीक्षक को अपने आने की सूचना तीन दिन पूर्व देनी होगी।

(दो) संसद सदस्य को स्वयं, या उसके द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के साथ उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जिसके हस्ताक्षर संसद सदस्य द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित किये जाएंगे, लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र के साथ आवास का कब्जा लेने एवं फर्नीचर आदि की सूची पर हस्ताक्षर करने हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र से संपर्क करना होगा।

(तीन) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र द्वारा कार्यालय के कार्य समय के दौरान आवंटी को स्टाफ क्वार्टर और गैराज सहित खाली बंगलों/फ्लैटों (यदि आवंटित किया गया हो) का कब्जा दिया जाएगा।

(चार) परिसर को रहने योग्य बनाने के लिए केवल नेमी कार्य, जैसे परिसर की सफेदी, पेंटिंग एवं सफाई आदि के.लो.नि. विभाग द्वारा किये जाएंगे।

(पाँच) के.लो.नि. विभाग को कोई अतिरिक्त निर्माण/फेरबदल करवाने हेतु मांग पत्र देने से पहले आवंटी द्वारा बंगला/फ्लैट का तकनीकी कब्जा प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। किराये की देनदारी नेमी कार्य पूरे हो जाने के बाद तथा परिसर को रहने योग्य बना दिये जाने की तारीख से लागू होगी।

(छह) अतिरिक्त कार्य/फेरबदल के किसी भी कार्य के लिए सदस्य द्वारा के.लो.नि. विभाग को एक मांग पत्र दिया जाएगा जो उक्त कार्य के लिए आकलन तैयार करेगा और उसे आवास समिति की स्वीकृति के लिए अग्रेषित करेगा। सदस्य के पूरे कार्यकाल के लिए कुल 1,50,000/- रुपये की लागत तक का अतिरिक्त निर्माण/फेरबदल का कार्य आवास समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इस राशि से अधिक लागत का कार्य होने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की स्वीकृति लेकर किया जा सकेगा।

(सात) सदस्य की लिखित मांगों पर के.लो.नि. विभाग सेवा केन्द्र पुराना फर्नीचर उपलब्ध कराएगा। यदि कोई सदस्य यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को फर्नीचर जारी किया जाए तो उसे संबंधित के.लो.नि. विभाग सेवा केन्द्र को अपने फर्नीचर की आवश्यकता दर्शाने वाले पत्र के साथ एक प्राधिकार पत्र भेजना चाहिए जिसमें प्रतिनिधि के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित किया गया हो और उसे फर्नीचर प्राप्ति और वापसी की रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। फर्नीचर की सूची पर संसद सदस्य द्वारा स्वयं, अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(आठ) नए फर्नीचर की आपूर्ति के लिए आवास समिति सदस्य के पूरे कार्यकाल के लिए अधिकतम 1,00,000/- रुपये की टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए मंजूरी दी जा सकती है। आवास समिति द्वारा आकलन को मंजूरी की सूचना दिए जाने के बाद ही नए फर्नीचर की आपूर्ति की जाएगी।

(नौ) 1,00,000 रुपये मूल्य तक के फर्नीचर की मरम्मत (80,000 रुपये का टिकाऊ फर्नीचर और 20,000 रुपये का गैर टिकाऊ) किराया रहित दी जाएगी। इस सीमा से अधिक लिए गए किसी भी फर्नीचर के लिए टिकाऊ सामान पर 1.2% प्रतिमाह और कम टिकाऊ मर्दों पर 2% प्रतिमाह की दर पर अतिरिक्त किराया प्रभारित किया जाएगा।

सिंगल विंडो सिस्टम के तहत नई दिल्ली नगर पालिका/के.लो.नि. विभाग से संबंधित शिकायतें

(एक) सदस्य स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सीवेज (जल मल), बागवानी और सिविल निर्माण कार्यों के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका/के.लो.नि. विभाग से संबंधित अपनी शिकायतें संसद सदस्यों के रिहायशी क्षेत्रों में स्थित निम्नलिखित के.लो.नि. विभाग के पृथक्ताछ कार्यालयों में "सिंगल विंडो सिस्टम" के तहत दर्ज करा सकते हैं:-

के.लो.नि. विभाग पृथक्ताछ कार्यालय		टेलीफोन नं.
नॉर्थ एवेन्यू सर्विस सेंटर (डीडीयू मार्ग सहित)	—	23093997, 23092891, 23393401
साउथ एवेन्यू सर्विस सेंटर	—	23016834, 23015250
फिरोजशाह रोड सर्विस सेंटर	—	23389738, 23381866
मीना बाग सर्विस सेंटर	—	23013289
विट्ठल भाई पटेल हाउस सर्विस सेंटर	—	23719780, 23720723
एम.एस. फ्लैट डॉ. बी. डी. मार्ग	—	23324084, 23739558

(दो) अपर्याप्त जल आपूर्ति, सीवरलाइनों के बंद होने, कूड़ा न हटाए जाने के संबंध में शिकायत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के नियंत्रण कक्ष को इन टेलीफोन नम्बरों पर की जानी चाहिए: 23743642, 23360683, 20819818, 24647295 (सीवर लाइन), 23348300/301, 23742752 (कूड़ा हटवाने के लिए)।

अनुबंध चार

(देखें, आवास परिपत्र मई, 2024 का पैरा 7)

लोक सभा सदस्य आवास पूल से हुए आवंटन के बारे में किराए की जिम्मेदारी

(क) आवंटित आवास की स्वीकृति/कब्जा

- (एक) सदस्य को अलॉटमेंट पत्र जारी होने के 8 दिनों के भीतर अलॉटमेंट स्वीकार या अस्वीकार करना आवश्यक है।
- (दो) जिस सदस्य ने अलॉटमेंट स्वीकार कर लिया है, उसे प्राधिकरण पक्षी जारी होने के 8 दिनों के भीतर आवास का तकनीकी कब्जा लेना अपेक्षित है।
- (तीन) सदस्य को आवास परिवर्तन मिलने पर उन्हें नए आवास में रहना आरंभ करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर एक आवास से दूसरे आवास में स्थानांतरित होना अपेक्षित होता है।

(ख) तथापि, यदि प्रस्तावित अवधि से अधिक दिन तक आवास स्थान खाली रहता है, तो इसे प्रतीक्षा सूची में दर्ज अगले सदस्य, जिसे आवास नहीं मिला है, को अलॉट किया जा सकता है।

(ग) परन्तु व्यक्तिगत मामलों में आवास समिति अथवा आवास समिति के सभापति द्वारा इन शर्तों में छूट दी जा सकती है।

(घ) किराए की जिम्मेदारी:

- (एक) **बंगले की तरह का आवास** - जब किसी लोक सभा सदस्य को, जिसके पास कोई निवास स्थान नहीं है, कोई नियमित आवास स्थान अलॉट किया जाता है और ऐसा अलॉटमेंट उसके द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाता है, तो बंगले की तरह का आवास लेने की स्थिति में किराया देने की उसकी जिम्मेदारी इस तरह के आवास के भौतिक कब्जे की तारीख से आरंभ होगी।
- (दो) **आवास स्थान में परिवर्तन** - जब किसी सदस्य को एक आवास स्थान से दूसरे आवास स्थान में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाती है और इसे वह विधिवत स्वीकार कर लेता है तो आवास तथा टेलीफोन की सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के नियम 5 के परन्तुक के अधीन रहते हुए, इस नये आवास स्थान का किराया, आदि देने की उसकी जिम्मेदारी कब्जा लेने की तारीख से चौथे दिन से आरम्भ होगी और उसे पुराने आवास स्थान का अलॉटमेंट नए आवास के भौतिक रूप से कब्जा करने के चौथे दिन से, रद्द समझा जाएगा और जब तक कि पुराना आवास स्थान पूर्णतया नहीं लौटा दिया जाता और खाली नहीं कर दिया जाता तब तक उसमें समयोपरान्त रहने के लिए बाजार दर से किराया लिया जायेगा।
- (तीन) **फ्लैट/हॉस्टल टाइप का आवास** - सदस्य को लाइसेंस शुल्क मुक्त फ्लैट तथा होस्टल टाइप आवास आवंटित किए जाने पर यदि उन्होंने उस आवास को समय पर खाली नहीं किया जो मूलतः उनके कब्जे में था, तो उन्हें निर्धारित नियमों के अंतर्गत उसके लिए बाजार दर से लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा अथवा यदि उन्होंने उसके बदले में आवंटित आवास का समय पर कब्जा नहीं लिया तो उन्हें उसके लिए बाजार दर से लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।
- (चार) **अतिरिक्त आवास स्थान** - किसी सदस्य को दिये गये किसी भी अतिरिक्त आवास का किराया बाजार दर पर लिया जाएगा। (इसमें संसद सदस्यों के फ्लैटों या वेस्टर्न कोर्ट या किसी अन्य स्थान को विवाह/अतिथियों के लिए अस्थायी आवंटन भी सम्मिलित है) अतिरिक्त सर्वेन्ट क्वार्टरों/गैराजों आदि के आवंटन को भी इसी प्रकार विनियमित किया जायेगा।
- (पांच) **अस्थायी आवास** - यदि विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, राज्य अतिथि गृह, स्टेट भवन, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल/एनेक्सी अथवा अन्यत्र ऐसे दिया गया कोई अस्थायी आवास स्थान सदस्य के कब्जे में है, जिसके किराये की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व सरकार पर हो, तो सदस्य को आवंटित स्थायी आवास स्थान का कब्जा ले लिये जाने के बाद 14 दिनों के भीतर उसे खाली करना होगा। यदि सदस्य उसे खाली नहीं करता है, तो सदस्य स्वयं ऐसे अस्थायी आवास स्थान के किराये के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- (छह) **आवास स्थान का कब्जा लेने की तारीख** उस दिन से मानी जायेगी जिस दिन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कब्जा रिपोर्ट पर सदस्य अथवा सदस्य का प्राधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा। इसी प्रकार, आवास खाली होने की तारीख की गणना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई आवास खाली किए जाने संबंधी रिपोर्ट की तारीख से की जाएगी।

अनुबंध पांच
(देखें, आवास परिपत्र मई, 2024 का पैरा 8)
लोक सभा सदस्यों को स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र
APPLICATION FOR ALLOTMENT OF STAFF QUARTER OF
MEMBERS OF LOK SABHA

सेवा में/To

उप सचिव/The Deputy Secretary
सदस्य सेवा शाखा/MS Branch
लोक सभा सचिवालय/Lok Sabha Secretariat
संसदीय सौध/Parliament House Annexe
नई दिल्ली/New Delhi-110 001

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे मेरे नौकर के प्रयोगार्थ एक स्टाफ क्वार्टर अलॉट किया जाए। मेरे नौकर के विषय में विवरण नीचे दिया गया है:—

I am to request you kindly to allot a Staff Quarter to me for the use of my servant. The particulars of my servant are given below:—

1. घरेलू स्टाफ/ड्राइवर संबंधी व्यौरा

Particulars of the domestic staff/driver:—

(i) नाम.....

आयु.....वर्ष

Name.....

Age.....years

(ii) पिता का नाम

Father's Name.....

(iii) फोटो पहचान पत्र सं./Photo I.D. No.

(कृपया राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/लो.स.स. अथवा किसी अन्य नियोक्ता एजेंसी द्वारा किसी पहचान-पत्र की प्रति संलग्न करें)

(Please enclose a copy of Ration Card/Driving Licence/I. Card issued by LSS/or any other employing agency)

(iv) स्थायी पता/Permanent

Address:.....

मोहल्ला/Mohalla.....

डाकखाना/Post Office.....

जिला/District.....

राज्य/State.....

(v) पहचान के लिए कोई दो प्रत्यक्ष चिन्ह:

Any two visible identification marks:

सदस्य द्वारा सत्यापित नौकर

का फोटोग्राफ

Photograph of servant duly
attested by Member

(vi) स्टाफ का सामान्य चित्रण जिससे अनजान स्टाफ को पहचान सके

General description which may help recognition of the Staff to unknown persons

2. जिन अन्य व्यक्तियों/नौकर/स्टाफ ड्राइवर के परिवार के सदस्यों के लिए आवास की आवश्यकता है उनके कुटुम्ब का व्यौरा:—

Particulars of other persons/family members of the servant/staff/driver for whom accommodation is required, if any:—

क्रमांक Sl. No.	नाम Name	आयु Age	सम्बन्ध Relationship with Guest

3. क्षेत्र/मंजिल की वरीयता/Locality/Floor preferred.....

4. सदस्य द्वारा प्रमाणित/Certified by the Member:—

मैं एतत् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया अतिथि(यों) संबंधी विवरण मेरे संज्ञान तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतया सच है। श्री जिनके लिए मुझे एक स्टाफ क्वार्टर की आवश्यकता है, मेरे नियमित घरेलू स्टाफ/मेरी कार के ड्राइवर हैं। मेरी बारी आने पर जब मुझे स्टाफ क्वार्टर अलाट कर दिया जाएगा तो मैं उसका उपयोग अपने घरेलू स्टाफ/ड्राइवर (और उसके कुटुम्ब) के लिए ही निवास स्थान के रूप में करूंगा/करूंगी, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

I hereby certify that the details of guest(s) given above are true to the best of my knowledge and belief Shri for whom I require a Staff Quarter is my bonafide domestic staff/driver of my Car No. A Staff Quarter when allotted to me in my turn will be utilized as a residence for my aforesaid domestic staff (and his family) only and for no other purpose.

.....
हस्ताक्षर/Signature

संसद सदस्य का

नाम.....

Name of the MP

(मोटे अक्षरों में/in Block Letters)

निर्वाचन क्षेत्र/Constituency.....

पहचान पत्र सं./Identity Card No.

नोट: 1. जिस मोहल्ले में सदस्य को आवास आवंटित किया जाता है वहां उपलब्ध होने पर ही स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया जायेगा।
2. यदि सभी अपेक्षित उपरोक्त विवरण नहीं दिए गए हैं तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

N.B. 1. Staff Quarter will be allotted subject to availability in the locality where the residence is allotted to a Member.
2. This application will not be entertained if all the particulars required above have not been furnished.

अनुबंध छह

(देखें, आवास परिपत्र मई, 2024 का पैरा 8)

लोक सभा सदस्यों को मोटर गैराज के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र
APPLICATION FOR ALLOTMENT OF MOTOR GARAGE TO
MEMBERS OF LOK SABHA

सेवा में/To

उप सचिव/The Deputy Secretary
सदस्य सेवा शाखा/MS Branch
लोक सभा सचिवालय/Lok Sabha Secretariat
संसदीय सौध/Parliament House Annexe
नई दिल्ली/New Delhi-110001
विषय: मोटर गैराज का आवंटन
Subject: Allotment of a Motor Garage

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे मेरे फ्लैट/बंगला संख्या.....के निकट एक मोटर गैराज आवंटित की जाए। मेरी कार के विषय में विवरण नीचे दिया गया है:—

I request you kindly to allot me a motor garage near my flat/bungalow No. allotted to me. The particulars of my car are given below:—

1. रजिस्ट्रेशन संख्या/Registration No.
2.में पंजीकृत.....के नाम पंजीकृत है।
Registered at in the name of
3. कार का नाम/Make of the car.....
4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि/I certify that:—

- (i) ऊपर उल्लिखित कार मेरे स्वामित्व में है/
the car specified above is owned by me,
- (ii) जब मुझे गैराज आवंटित कर दी जायेगी तो मैं उसका उपयोग अपनी कार रखने के लिए ही करूंगा/करूंगी, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं; और
the garage when allotted will be used only for keeping my car and for no other purpose whatsoever; and
- (iii) आवश्यकता नहीं होने पर गैराज छोड़ दी जायेगी/
the garage will be surrendered when not required.

5. ड्राइवर का नाम (स्वयं चलाने की स्थिति में लागू नहीं)

Name of the Driver.....(*N. A. in case of self-driven*)

लाइसेंस सं. किस तिथि तक वैध है

Licence No.with upto the date of validity

भवदीय/Yours faithfully

.....

हस्ताक्षर/Signature

संसद सदस्य का नाम.....

Name of the MP.....

(मोटे अक्षरों में / in Block Letters)

दिनांक/Date.....

निर्वाचन क्षेत्र/Constituency.....

स्थान/Place.....

पहचान पत्र सं./Identity Card No.

नोट: 1. सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने नाम में पंजीकृत वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की एक फोटो प्रति संलग्न करें।

2. जिस मोहल्ले में सदस्य को निवास स्थान दिया जाता है वहां मोटर गैराज उपलब्ध होने पर अलाट किया जायेगा।

N.B. 1. Member is requested kindly to enclose a photocopy of registration certificate in respect of vehicle registered in his/her own name.

2. Motor Garage will be allotted, subject to the availability in the locality where the residence is allotted to a member.

अनुबंध सात

(देखें आवास संबंधी परिपत्र, मई 2024 का पैरा 12)

(दो प्रतियों में भरा जाये)

आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्यों को
टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र

दिनांक _____

प्रेषक

_____, संसद सदस्य

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में

उप सचिव,

सदस्य सेवा शाखा,

लोक सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत निम्नलिखित टेलीफोन संबंधी सुविधा(एं) प्रदान करने की व्यवस्था करें:

(कृपया चुने गए अनुरोध के सामने बॉक्स पर टिक करें):

क. लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शंस					
क्र. सं.	नया कनेक्शन	नियमों के अंतर्गत मौजूदा टेलीफोन संख्या को संसद सदस्य कोटा में परिवर्तित करें।	पत्ता/स्थान	निकटतम दूरभाष केंद्र	
(i)	कनेक्शन 1 (नई दिल्ली)	_____			
		(मौजूदा टेलीफोन सं.)			
(ii)	कनेक्शन 2 (मेरे सामान्य निवास स्थान पर/उस राज्य में एक स्थान पर जिसमें मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है/उस राज्य में, जहां मैं रहता/रहती हूँ।)				
(iii)	कनेक्शन 3 (इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीसरा कनेक्शन)	<input type="checkbox"/> (क) दिल्ली या नई दिल्ली में मेरे आवास पर स्थित मेरे कार्यालय में; या <input type="checkbox"/> (ख) मेरे सामान्य निवास स्थान पर; या <input type="checkbox"/> (ग) मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में चयनित किसी स्थान पर; या <input type="checkbox"/> (घ) उस राज्य में, जहां मैं रहता/रहती हूँ।			

ख. ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सुविधा				
क्र. सं.			पता और टेलीफोन	निकटतम दूरभाष केंद्र
(i)	ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन	<input type="checkbox"/> (क) दिल्ली या नई दिल्ली में मेरे आवास पर स्थित मेरे कार्यालय में; या <input type="checkbox"/> (ख) मेरे सामान्य निवास स्थान पर; या <input type="checkbox"/> (ग) मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में चयनित किसी स्थान पर; या <input type="checkbox"/> (घ) उल्लिखित विवरण के अनुसार उस राज्य में, जहां मैं रहता/रहती हूँ।		
(ii)	अतिरिक्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन	<i>(प्रतिवर्ष अभ्यर्पित दस हजार कॉल के बदले)</i> पता : _____ _____		

ग. फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच)
दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित पता जहां पर एफटीटीएच की आवश्यकता है

घ. मोबाइल फोन कनेक्शन	
दिल्ली/नई दिल्ली में प्रथम मोबाइल कनेक्शन (एमटीएनएल)/(बीएसएनएल)	<input type="checkbox"/> विकल्प 1: दिल्ली में बीएसएनएल का नेशनल रोमिंग सुविधा सहित नया कनेक्शन। या <input type="checkbox"/> विकल्प 2: मेरे मौजूदा एमटीएनएल मोबाइल नंबर _____ को नेशनल रोमिंग सुविधा सहित संसद सदस्य कोटा में परिवर्तित करें।
दूसरा मोबाइल कनेक्शन (नेशनल रोमिंग की सुविधा सहित)	मौजूदा एमटीएनएल/बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन सं. _____ <input type="checkbox"/> विकल्प 1: दिल्ली में नया बीएसएनएल कनेक्शन (दिल्ली के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के माननीय संसद सदस्यों के लिए लागू) या <input type="checkbox"/> विकल्प 2: मेरे निर्वाचन क्षेत्र _____, जिला _____, राज्य _____ में नया बीएसएनएल मोबाइल फोन कनेक्शन। या <input type="checkbox"/> विकल्प 3: _____ नंबर वाले एमटीएनएल/बीएसएनएल के मेरे मौजूदा पोस्टपेड कनेक्शन (जो कि मेरे नाम पर है), को संसद सदस्य कोटा में परिवर्तित करें तथा उस पर नेशनल रोमिंग सुविधा प्रदान करें।

2. टेलीफोन दिनांकको..... बजे से
.....बजे तक किसी भी समय लगाया जा सकता है।
3. मैं आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत उपरोक्त फोन/फोनो के संबंध में दूरसंचार, एमटीएनएल तथा बीएसएनएल को, देय राशि से अधिक सभी देय का संपूर्ण भुगतान करने का वचन देता/देती हूं।

भवदीय,

संसद सदस्य.....

पहचान पत्र सं०.....

निर्वाचन क्षेत्र.....

राज्य.....

अनुबंध आठ

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र – मई, 2024 का पैरा 14)

लोक सभा सदस्यों को आवास आदि संबंधी अन्य सुविधाएं

1. प्रत्येक सदस्य आवास समिति द्वारा उसे आवंटित आवास अथवा दिल्ली स्थित किसी निजी आवास जिसमें सदस्य रहते हैं, में बिना किसी प्रभार की अदायगी के 4000 किलोलीटर तक पानी की आपूर्ति तथा अधिकतम 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष बिजली का भी हकदार होगा (लाइट/पावर मीटर अथवा सामूहिक रूप से एक साथ प्रत्येक में 25,000 यूनिट)। यदि पति और पत्नी, दोनों संसद के किसी-न-किसी सदन के सदस्य हैं और एक ही आवास में साथ-साथ रह रहे हैं तो बिजली की संगणना यूनिट में तथा पानी की किलोलीटर में अलग-अलग की जाएगी।

2. यदि किसी आवास में किसी प्रकार का सुधार किया गया है, या परिवर्धन अथवा कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान की गई है तो उसके लिए जो लाइसेंस शुल्क देय होगा, वह इस प्रकार के सुधार या परिवर्धन अथवा अतिरिक्त सेवा के लिए दिये जाने वाले सामान्य किराये से 25 प्रतिशत कम होगा।

3. सदस्यों को टिकाऊ फर्नीचर के लिए 80,000/- रुपए तथा कम टिकाऊ फर्नीचर के लिए 20,000/- रुपए की मौजूदा अधिकतम मौद्रिक सीमा के भीतर किराया रहित फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, बाथरूम और रसोई में टाइल्स जैसी अतिरिक्त सुविधा एवं प्रत्येक तीन माह के बाद, सोफा तथा पर्दों की धुलाई की सुविधा सदस्य को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। फर्नीचर की अतिरिक्त मदों का किराया सदस्य को उसके निवास पर उपलब्ध कराए गए फर्नीचर के अवमूल्यन के आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण एक – "सुधार या परिवर्धन" का अर्थ अतिरिक्त आवास, फर्नीचर, टेबल और पैडस्टल पंखे, टेबल लैम्प, फ्लोर स्टैण्ड लैम्प, बायलर, रेफ्रिजरेटर, डेजर्ट कूलर तथा वातानुकूल यंत्र का प्रावधान करना है।

स्पष्टीकरण दो – "फर्नीचर" का अर्थ फर्नीचर की ऐसी मदों जो किसी सदस्य को आवंटित आवास के लिए देय हों और उसमें ऐसी कोई भी अतिरिक्त मदें शामिल हैं जो उस सदस्य के आवास में किराये पर लगाई गई हों।

स्पष्टीकरण तीन – "अतिरिक्त सेवा" का अर्थ है:—

- (क) सदस्यों के आवासों पर सफाई कर्मचारियों, जमादारों और डस्टर और झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था;
- (ख) सदस्यों के आवासों पर बिजली के बल्ब की आपूर्ति;
- (ग) फूलों की क्यारियों का रख-रखाव;
- (घ) सदस्यों की सामान्य सुविधा की दृष्टि के किसी भी स्थान (जैसे कि पृष्ठताछ कार्यालय) का रख-रखाव; और
- (ङ) सदस्यों की सामान्य सुविधा के लिए प्रदान की गई कोई अन्य सेवा।

4. **किराए में छूट** — कभी-कभी सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनके निवास स्थानों में अतिरिक्त आवास के रूप में परिवर्धन/परिवर्तन किया जाता है और उनके निवास स्थानों पर फर्नीचर और अन्य विद्युत उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। सदस्यों को आवासों में कराए गए ऐसे परिवर्धन और फर्नीचर तथा अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त किराए की अदायगी करनी होगी जिसमें आवास तथा टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) में किए गए उपबंधों के अनुसार 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

5. बंगलों/फ्लैटों के लिए लाइट, पावर और पानी के कनेक्शन प्रतिभूति राशि जमा करके नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से लिये जा सकते हैं। विठ्ठलभाई पटेल हाउस, वैस्टर्न कोर्ट होस्टल, वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी के मामले में, जहां पर सरकार ने पृथक मीटर (सब-मीटर) लगा रखे हैं, प्रतिभूति राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सदस्य अपने आवंटित आवास में पानी और बिजली का उपयोग निःशुल्क कर सकता है, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित है।

6. रफी मार्ग पर स्थित विठ्ठलभाई पटेल हाउस के फ्लैटों में अलग से रसोईघरों की व्यवस्था है। किसी भी सदस्य को इस रसोईघर में पत्थर का कोयला/लकड़ी का कोयला/लकड़ी जलाने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य स्वयं इन स्यूइटों में गैस, बिजली स्टोव आदि का स्वयं अपना प्रबंध करेगा।

7. वैस्टर्न कोर्ट में मैस/कुकिंग सुविधा उपलब्ध है। बंगलों या फ्लैटों में सदस्यों को भोजन की अपनी निजी व्यवस्था करनी होगी।

ध्यान दीजिए — 1. (एक) आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के अंतर्गत सदस्य आवासीय सुविधा के रूप में एक फ्लैट के साथ-साथ एक स्टाफ क्वार्टर तथा मोटर गैराज निःशुल्क लेने के हकदार हैं। तथापि, लोक सभा पूल में मोटर गैराज की कमी होने के कारण, मोटर गैराज का आवंटन उसकी उपलब्धता के अध्यक्षीन होगा।

- (दो) स्टाफ क्वार्टर एवं मोटर गैराज के किस्म सहित बंगला टाइप के आवास के अधिकतम किराया 105 रुपये प्रतिमाह होगा।
2. (एक) 80,000 रुपये की मूल्य तक के टिकाऊ फर्नीचर और 20,000 रुपये मूल्य तक कम टिकाऊ फर्नीचर का किराया नहीं लिया जाता है।
- (दो) 80,000 रुपये से अधिक लागत वाले टिकाऊ फर्नीचर के लिए 1.2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से किराया लिया जायेगा और 20,000 रुपये से अधिक लागत वाले कम टिकाऊ फर्नीचरों के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से किराया लिया जाएगा।
3. सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दरों के अनुसार सेवाओं के लिए किराया/प्रभार लिया जायेगा।
- (एक) अतिरिक्त सेवाओं के लिए जो राशि प्रभारित की जाती है वह बंगलों के मामले में सफाई कर्मचारियों तथा जमादारों के वेतन एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले डस्टर, झाड़ुओं आदि पर होने वाले व्यय का भाग है।
- (दो) नॉर्थ और साउथ एवेन्यू के फ्लैटों के मामले में अतिरिक्त सेवाओं के लिए जो राशि प्रभारित की जाती है वह "कॉमन प्लेसेज" के रखरखाव पर होने वाले व्यय का भाग है और उसमें:—
- (क) कॉमन हालों में उपलब्ध कराये गए आवास स्थान फर्नीचर, रेफ्रिजरेटरों और अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के किराए,
- (ख) नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में बैडमिन्टन कोर्टों में खर्च होने वाली बिजली का मूल्य,
- (ग) नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में कैटीनों, वहां दिए गए फर्नीचर आदि के किराये के भाग,
- (घ) नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में कॉमन लॉनों में, लॉन अलग-अलग करने वाली झाड़ियां लगाने; नॉर्थ और साउथ एवेन्यू मार्गों के अंत में रुकावट के रूप में आर.सी.सी. खम्भे लगाने; नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में पहली मंजिल पर फ्लैटों की छतों (टैरेस) पर छोटे-छोटे पेशाब घरों की व्यवस्था करने; तथा नॉर्थ और साउथ एवेन्यू के प्रथम मंजिल के फ्लैटों की खिड़कियों और रोशनदानों में लोहे की छड़े लगाने का खर्च शामिल है।
- (तीन) मीना बाग के फ्लैटों में अतिरिक्त प्रभार के तौर पर, प्रत्येक फ्लैट के सर्वेन्ट क्वार्टर के पानी का खर्च शामिल है।
4. बंगलों, फ्लैटों, स्टॉफ क्वार्टरों, गैराजों आदि में समय-समय पर होने वाले परिवर्धन के लिए किराया सामान्य किराए के अतिरिक्त लिया जाता है।
5. उन सदस्यों से फूलों तथा सब्जियों की क्यारियों के रख-रखाव के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मालियों द्वारा इस काम को न कराना चाहें।
6. यदि निवास स्थान फर्नीचर के बिना आवंटित किये जाते हैं और स्वीकार कर लिए जाते हैं तो स्केल फर्नीचर किराया नहीं लिया जाता है। वापिस की गई स्केल फर्नीचर की मदों पर स्केल फर्नीचर के लिए देय किराए में आनुपातिक छूट दी जाती है।
7. विट्ठलभाई पटेल हाउस में सुइट्स के मामले में बिजली और पानी उपभोग का प्रभार मीटर रीडिंग के हिसाब से अतिरिक्त लिया जायेगा।
8. (एक) सदस्यों को सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ/सेवा केन्द्रों के जरिए किराए पर निम्नलिखित मदों की भी आपूर्ति की जाती है:—
- (क) रेफ्रिजरेटर (बड़ा, मझोला और छोटा) — एक
- (ख) एयरकंडीशनर (स्पलिट/विन्डो टाइप) क्लाइमेटाइजर — प्रत्येक ड्राइंगरूम और बेडरूम के लिए एक
- (ग) डेजर्ट कूलर/रूम कूलर — यदि आवश्यकता हो तो, एयरकंडीशनर के स्थान पर
- (घ) रूम हीटर/ब्लोअर — प्रत्येक ड्राइंगरूम और बेडरूम के लिए एक
- (ङ) कीटनाशी यंत्र (इन्सेक्ट किलर) — प्रत्येक ड्राइंगरूम और बेडरूम के लिए एक
- (च) बॉयलर/गीजर (25 ली. अथवा 35 ली. अथवा 50 ली.) — एक
- (छ) वाटर प्युरिफायर/आरओ — एक (किराया रहित)
- (ज) उपरोक्त विद्युत उपकरणों के लिए किराया सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर लिया जाता है।
- (दो) उपरोक्त मदों की आपूर्ति सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ/सेवा केन्द्रों के जरिए स्टॉक नया या पुराना की उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

9. इसके अतिरिक्त, सदस्यों के दिल्ली स्थित निवास स्थानों पर पानी गरम करने के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम) भी लगाई गई है। इसी प्रकार, नई दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सदस्यों के निवास स्थानों पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के जरिए "पाइपड नेचुरल गैस" (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है।

10. सभी निवास स्थानों से संबंधित किराए की दरें और अन्य सेवाएं/मदें अस्थायी हैं तथा भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन के अधीन हैं।

अनुबंध नौ

(देखें आवास संबंधी परिपत्र — मई, 2024 का पैरा 14)

लोक सभा सदस्यों को दिल्ली और नई दिल्ली में रेफ्रिजरेटर्स तथा एयर-कंडीशनरों के
आवंटन के लिए आवेदन-पत्र

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. वर्तमान निवास स्थान:
3. क्या निवास-स्थान में निम्नलिखित उपलब्ध है:
(एक) पावर प्लग:
(दो) पावर मीटर:
4. रेफ्रिजरेटर्स/एयर कंडीशनरों की संख्या और क्षमता:
5. ए.सी./रेफ्रिजरेटर कितनी अवधि के लिए चाहिए:
(एक) सम्पूर्ण वर्ष के लिए:
अथवा
(दो) अल्पकाल के लिए (अवधि लिखें):
6. क्या पिछले वर्ष कोई रेफ्रिजरेटर/ए.सी. दिया गया था? यदि हां, तो कृपया यह बताएं कि जो रेफ्रिजरेटर/ए.सी. दिया गया था क्या वह-
(एक) पिछले सम्पूर्ण वर्ष के लिए था:
अथवा
(दो) अल्पकाल (अवधि लिखें) के लिए था:
7. दिए गए रेफ्रिजरेटर/ए.सी. की संख्या और क्षमता (यदि ज्ञात हो तो आकार बताएं):
8. स्थायी पता:
मैं नियमानुसार किराया/क्षतिपूर्ति प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक:

सदस्य के हस्ताक्षर.....

निर्वाचन क्षेत्र.....

पहचान पत्र संख्या.....

सेवा में,

उप सचिव/कार्यकारी अधिकारी,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

अनुबंध दस

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र — मई, 2024 का पैरा 12)

आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य के लिए 3जी और आईपैड सेवा पर मूल्यवर्धित सेवा हेतु आवेदन-पत्र

दिनांक

प्रेषक

....., संसद सदस्य (लोक सभा)

सेवा में,

उप सचिव
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली-110001

संदर्भ: लोक सभा सचिवालय बुलेटिन संख्या 3573 दिनांक 27 दिसम्बर, 2011

महोदय/महोदया,

कृपया एमटीएनएल दिल्ली अथवा बीएसएनएल की रोमिंग सुविधा सहित निम्नलिखित में से एक सुविधा की व्यवस्था करें:-

- एक. रु. 999/- प्रति माह के बराबर लोकल कॉल के एवज में आईपैड के लिए मोबाइल चिप तथा कनेक्शन (शुल्करहित असीमित डाटा डाउनलोड), जिसे मेरे लिए कॉल्स के अनुमेय कोटे से समायोजित किया जाए, अथवा
- दो. रु. 999/- प्रति माह के बराबर लोकल कॉल, जिसे मुफ्त कॉल के कोटे से समायोजित करने के एवज में संसद सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले 3 जी प्लान्स के अनुसार 3 जी डाटा उपयोग और इंस्टैंट मैसेजिंग डाटा कार्ड 3.6 एमबीपीएस प्रदान किया जाए, अथवा
- तीन. 75 रुपए प्रति माह के बराबर स्थानीय कॉल के बदले मुझे अनुमेय कॉल्स के कोटे से समायोजित करके वर्तमान 3जी मोबाइल सेट और मोबाइल कनेक्शन (नंबर) पर मोबाइल टीवी, अथवा
- चार. निःशुल्क मिस्ड कॉल अलर्ट।

मैं इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत हूँ कि ऊपर दर्शाई गई राशि मासिक रूप से निःशुल्क कॉल्स के अनुमेय कोटे से काट ली जाएगी।

मैं आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत उपरोक्त सेवाओं के संबंध में दूरसंचार, एमटीएनएल तथा बीएसएनएल को देय राशि से अधिक सभी देयों का पूर्ण भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

भवदीय,

संसद सदस्य

पहचान पत्र सं०

निर्वाचन क्षेत्र

कृपया ध्यान दें:

सेवा प्रदाता की अपेक्षानुसार यह दस्तावेज संलग्न करें: (1) पासपोर्ट आकार का फोटो; (2) पहचान पत्र की प्रति; (3) एमटीएनएल द्वारा निर्धारित फार्म; तथा (4) आवास प्रमाण-पत्र जैसे बिजली के बिल आदि की एक प्रति।

F. No. 2/1/24/MS
LOK SABHA SECRETARIAT
(M.S. BRANCH)

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE
NEW DELHI-110 001

Dated May, 2024

From

Y.M. KANDPAL
JOINT SECRETARY
MEMBER SERVICES

To

ALL MEMBERS OF LOK SABHA

Subject: Allotment of residences to Members of 18th Lok Sabha.

Sir/Madam,

I am directed to welcome you as Member of 18th Lok Sabha and request you to apply for allotment/change of residential accommodation, as per form enclosed (*Annexure I*). A Statement showing the residences which are meant for allotment to the Members of Parliament is enclosed (*Annexure-II*).

Transit Accommodation

2. As the residence in Lok Sabha Members' Pool may not be vacant/habitable for immediate allotment to Members of 18th Lok Sabha, arrangements have been made for Transit Accommodation in State Guest Houses/Bhawans, Western Court Hostel/Annexe and V.P. House etc. in New Delhi in single rent free room till such time regular accommodation is made available. **However, Members will be liable to pay charges for food and other additional services.** The rent in respect of Transit Accommodation is paid by the Directorate of Estates, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India till the regular accommodation allotted to a Member becomes habitable as per prescribed norms. Members are liable to pay rent and other charges for overstay in Transit Accommodation.

Regular Accommodation

3. In accordance with the criteria to be laid down by the House Committee, Lok Sabha, in respect of allotment to be made from the Lok Sabha Members' Pool, Members are allotted regular Hostel type accommodation in Vithalbhai Patel House, Flat type accommodation, and Bungalows. When applying for accommodation, two or more preferences may kindly be indicated to facilitate the House Committee to decide the allotment. However, the allotment of preferred accommodation cannot be assured. Any informal arrangement made between an ex-Member and a newly elected Member regarding occupation of any residence will not be recognized. Only an allotment made by the House Committee will be valid, to obviate avoidable dislocation and inconvenience to a newly elected Member.

4. In Vithalbhai Patel House a Member has the option, subject to availability, to take either one double and a single suite or three single suites as regular allotment.

5. As per the provisions in the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), Hostel/flat type accommodation is allotted to Members without payment of licence fee. Eligible Members allotted bungalows as per criteria laid down by the House Committee are liable to pay licence fee at normal rate. In case, there is an office block in the bungalow, additional rent would be payable.

6. Rent and other charges will normally be deducted from Members' Salary/TA/DA. Before, the occupation of a residence, Members will be required to give an undertaking in respect of the following matters *inter alia*:—

- (i) To pay all the Government dues from time to time either by deduction from their Salary/TA/DA or in cash. In case of failure to make payments when due, the allotment will be liable to be cancelled forthwith.
- (ii) I will not sublet or share the accommodation with any person including a Member of Parliament.
- (iii) To abide by the Rules relating to proper maintenance of residence and its surroundings.

7. Procedure for handing/taking over of Accommodation allotted under Lok Sabha Members Pool and rental liability is at *Annexures-III & IV*.

8. **Staff Quarter and Motor Garages**—Those Members who require staff quarters and motor garages may apply on the prescribed forms (*Annexures-V to VI*) available on Lok Sabha Website or obtainable from the Members Services Branch, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe. There is, however, a shortage of staff quarters and garages and it may not, therefore, be possible to meet the demand of all Members in this respect. Allotment of motor garage is made on production of photocopy of registration certificate of the vehicle in Member's own name. Allotment of Motor garages and staff quarters will be made strictly according to the date of application and under the direction of the Chairperson, House Committee.

9. It is specifically brought to Members' notice that the accommodation allotted to them is primarily intended for Members and their family only. A family shall include wife/husband, as the case may be, and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily resides with and are dependent on the Member.

10. If it comes to the notice of the House Committee that a Member has sublet the accommodation or allowed any unauthorized person to stay in the residence, staff quarter and the garage allotted to them, whether during their presence or absence from Delhi, the matter will be placed before the Hon'ble Chairperson, House Committee, Lok Sabha / Hon'ble Speaker, Lok Sabha for such action as deemed necessary.

Retention of Regular Accommodation

11. (i) Members of Lok Sabha or their families can retain Accommodation for a maximum period of one month, after their term ends or resignation/removal/disqualification, or otherwise on ceasing to be Member of Lok Sabha on payment of the same rent, if any, which they were paying immediately before the occurrence of any of the events mentioned above.

(ii) In the event of death of a Member, the family of the late Member can retain the accommodation for a period of six months from the date of demise on payment of rent, if any, as was being charged prior to the event.

Telephone Facilities

12. Under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), a Member is entitled for three landline telephone connections and two mobile connections in New Delhi and in their constituency or on usual place of residence. A Member can avail total 1,50,000 free local calls on all these telephone connections annually. Besides, a Member can avail a broadband connection worth Rs. 1500 p.m. free of charge. Also a member may avail additional broadband facility with download speed 1 Mbps unlimited *in lieu* of 10,000 surrendered calls out of 1,50,000 free quota provided to Hon'ble Members per annum. A Member is entitled to avail high speed broadband on the Fibre to the Home (FTTH) with WiFi services at a Member's residence in Delhi and shall not be liable to make payment up to a maximum of Rs. 2200 per mensem, which shall be paid directly to MTNL towards charges for this facility. Prescribed application form for applying telephone facilities is given at *Annexures-VII & X*.

13. On the request of the Members, MTNL, will install a temporary telephone connection in the Transit Accommodation and the telephone calls made shall be adjusted against the total free calls admissible during a year under as per 'The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956' (as amended).

14. Other facilities related to Housing, etc. available to Members are mentioned at *Annexure-VIII*. Those Members who require ACs, refrigerators, etc. may apply on the prescribed form (*Annexure-IX*).

15. Members are requested to send their application to Under Secretary, Members Services Branch, Room No. 422, Parliament House Annexe by 15th June, 2024. House Committee/ Lok Sabha Secretariat will proceed with allotment of accommodation for such Members whose requests are received by this date.

16. All requests from Members for residential accommodation received in the Lok Sabha Secretariat prior to the issue of this Circular will not ordinarily be taken into consideration. Members are therefore, requested to apply afresh in reply to this Circular on the prescribed forms.

Yours faithfully,

Sd/-
(Y.M. KANDPAL)
JOINT SECRETARY
MEMBER SERVICES

ANNEXURE I

(Ref. Para-1 of Accommodation Circular May 2024)

लोक सभा सदस्यों के रिहायशी नियमित आवास के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL REGULAR ACCOMMODATION TO MEMBERS OF LOK SABHA

1. सदस्य का नाम / Name of the Member.....

(मोटे अक्षरों में / in block letters)

2. निर्वाचन क्षेत्र / Constituency.....

(मोटे अक्षरों में / in block letters)

3. राज्य / State.....

4. क्या सदस्य किसी निम्नलिखित पद पर रहा है / Whether the Members has been a

	से / From		तक / To		कुल अवधि Total Period
	वर्ष / Year	माह / Month	वर्ष / Year	माह / Month	
(i) केन्द्र में केबिनेट स्तर के मंत्री / Cabinet Minister in the Centre	हां / Yes	नहीं / No			
(ii) केन्द्र में राज्य मंत्री / Minister of State in the Centre	हां / Yes	नहीं / No			
(iii) केन्द्र में उपमंत्री / संसदीय सचिव Deputy Minister/ Parliamentary Secretary in the Centre	हां / Yes	नहीं / No			
(iv) मुख्य मंत्री / Chief Minister	हां / Yes	नहीं / No			
(v) राज्यपाल / Governor	हां / Yes	नहीं / No			
(vi) लोक सभा, अध्यक्ष / Speaker, Lok Sabha	हां / Yes	नहीं / No			
(vii) उप-सभापति, राज्य सभा / Deputy Chairman, Rajya Sabha	हां / Yes	नहीं / No			
(viii) लोक सभा उपाध्यक्ष / Deputy Speaker, Lok Sabha	हां / Yes	नहीं / No			
(ix) अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल / Speaker, State Legislature	हां / Yes	नहीं / No			

			से / From		तक / To		कुल अवधि Total Period
			वर्ष / Year	माह / Month	वर्ष / Year	माह / Month	
(x)	उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश / Chief Justice / Justice of Supreme Court	हां / Yes नहीं / No					
(xi)	राजनयिक (पद) / Diplomat (Position)	हां / Yes नहीं / No					
(xii)	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश / Chief Justice/Justice of High Court	हां / Yes नहीं / No					
(xiii)	संसद / राज्य विधानमंडल में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता / Recognised Opposition Leader in Parliament / State Legislature	हां / Yes नहीं / No					
(xiv)	उप मुख्यमंत्री / Deputy Chief Minister	हां / Yes नहीं / No					
(xv)	राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री / Cabinet Minister in State	हां / Yes नहीं / No					
(xvi)	राज्य में राज्य मंत्री / Minister of State in State	हां / Yes नहीं / No					
(xvii)	राज्य में उपमंत्री / संसदीय सचिव / Deputy Minister / Parliamentary Secretary in State	हां / Yes नहीं / No					
(xviii)	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता / National Award Winner	हां / Yes नहीं / No					
		Specify the award / पुरस्कार निर्दिष्ट करें					
(xix)	कोई अन्य संवैधानिक पद / Any other Constitutional Position	हां / Yes नहीं / No					

5. सदस्य लोक सभा/राज्य सभा के लिए कितनी बार निर्वाचित हुआ
For how many terms the Member has been elected to Lok Sabha and / or Rajya Sabha.
- कुल कार्यकाल
Total period
6. (i) गत लोक सभा के दौरान आवास का ब्यौरा, यदि कोई उनके पास था
Details of accommodation, if any, occupied during the term of last Lok Sabha/Rajya Sabha
- (ii) क्या मिला हुआ आवास वापस किया था या अभी भी कब्जे में है
Whether the accommodation occupied was vacated or is being retained
- (iii) यदि खाली करना है तो कृपया तारीख बतायें
If not vacated, Date of likely vacation, if any,.....
7. रिहायशी नियमित आवास क्षेत्र का वरीयता क्रम अर्थात्, लोक सभा पूल में अपेक्षित आवासीय क्षेत्र (बशर्ते कि पात्रता हो/आवास उपलब्ध हो)
Order of preference of areas where residential regular accommodation is desired from Lok Sabha MP's Pool:
(Subject to entitlement/availability)
पहली वरीयता/First Preference
दूसरी वरीयता/Second Preference
तीसरी वरीयता/Third Preference
8. क्या संसद सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य का संसद भवन से 6 मील की परिधि में कोई अपना मकान है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
Whether the Member or any member of his family has a house in his/her name within a radius of 6 miles from the Parliament House, if so, the details thereof.
9. सदस्य द्वारा प्रमाण-पत्र/Certificate from the Member:
मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि/I Certify that—
- (i) मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त ब्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है।
The details given above by me are true to the best of my knowledge and belief.
- (ii) मैंने वे नियम जिनके अधीन संसद सदस्यों को लोक सभा पूल से आवास आवंटित किए जाते हैं, पढ़ लिए हैं और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
I have read the rules under which residences from the Lok Sabha MP's Pool are allotted to Members of Parliament (Lok Sabha) and agree to abide by them.
- (iii) आवेदित आवास मेरे तथा मेरे परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए चाहिये।
The residence applied for is required for my use and the use of members of my family.
- (iv) मैं आवास समिति के सभापति को लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना अपना आवास किसी संसद सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को न तो किराये पर दूंगा/दूंगी और न ही साझेदारी में रहूंगा/रहूंगी।
I will not sublet or share the residence with any other person, whether a Member of Parliament or otherwise, without the prior permission in writing of the Hon'ble Chairperson, House Committee / Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

- (v) मैं वचन देता/देती हूँ कि आवास समिति द्वारा नियमित आधार पर आबंटित स्थायी आवास के मिल जाने के 14 दिनों के भीतर अपना अस्थायी आवास खाली कर दूंगा/दूंगी।

I undertake to vacate the Transit accommodation allotted to me within 14 days after I physically occupy the regular accommodation allotted to me by the House Committee on a regular basis.

दिनांक /Date.....

.....
(सदस्य का हस्ताक्षर/
Signature of the Member)
पहचान पत्र सं./
Identity Card No.

सेवा में/To

निदेशक /Director

लोक सभा सचिवालय /Lok Sabha Secretariat

नई दिल्ली /New Delhi

-
- नोट : 1 सदस्य द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार एक बार आवास समिति द्वारा आबंटित आवास तब तक नहीं बदला जायेगा जब तक सभी संसद सदस्यों को नियमित आवास आबंटित न हो जाये।
2. लोक सभा सदस्य पूल के आवास के ब्यौरे के लिए कृपया आवास संबंधी परिपत्र को देखें।
- Note: 1. Accommodation once allotted by the House Committee will not be changed till all the Members are allotted regular accommodation.
2. For details of accommodation in Lok Sabha MPs Pool, please refer to the Accommodation Circular.

ANNEXURE II

(Reference Para 1 of Accommodation Circular – May 2024)

STATEMENT OF ACCOMMODATION AVAILABLE FOR ALLOTMENT TO MEMBERS OF PARLIAMENT FROM LOK SABHA MPs POOL

BUNGALOWS AND FLATS

Sl. No.	Accommodation	Total Unit
1.	Bungalows	153
2.	Type VII – Duplex Flats (North Avenue)	32
3.	Type VII – Flats (Ganga, Yamuna, Saraswati, DDU Marg)	110
4.	Type VI – MS Flats (Gomati, Sindhu)	41
5.	Type VI – MS Flats (Narmada, Kaveri)	51
6.	Type V – Twin Flats	
	North Avenue	13
	South Avenue	23
7.	Type V – Flats	199
	Total	622
	*V.P. House (Hostel Type Accommodation) (Single–54 and Double–20) (<u>Treated as 31 units of Single Regular Accommodation</u>)+(one spare single suite)	74

*V.P. House—1 Double + 1 Single or 3 Single = 1 Regular unit

$$\begin{array}{l}
 54 \text{ Single} \\
 20 \text{ Double}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 54 \text{ Single} \\ 20 \text{ Double} \end{array}} \right\} = 31 \text{ Regular Unit : 1 Spare}$$

STAFF QUARTERS AND MOTOR GARAGES

Sl. No.	Area	Total Unit of Staff Quarter	Total Unit of Motor Garage
1.	North-Avenue (old)	78	24
	(N-Block)	19	23
2.	South Avenue (old)	98	31
	(S-Block)	5	12
3.	V.P. House	34	15
4.	Ferozeshah Road	44	9
5.	Canning Lane	1	5
6.	Dr. R.P. Road	15	2
7.	Aram Bagh	5	
8.	Meena Bagh		15
9.	Kali Bari Marg	2	
10.	Rabinder Nagar		1
	Total	301	137

TYPE AND AREA-WISE DETAILS OF BUNGALOWS / FLATS

Sl. No.	Category / Type	Area	Total Units	Accommodation For 18th Lok Sabha
1.	Type -VIII – Bungalow	Ashoka Road	2	16, 23
	Total		2	
2.	Type -VII – Bungalow	Balwant Rai Mehta Lane	5	1, 7, 11-A, 17, 23
		Pt. Ravi Shankar Shukla Lane (Canning Lane)	2	40, 42
		GRG Road	5	18, 22, 24, 30, 38
		Kamraj Lane	2	2, 7
		Lodhi Estate	8	14, 17, 21, 47, 81, 85, 91, 100
		Mathura Road	1	AB-18
		Mother Teresa Crescent	2	18, 20
		Pandara Road	2	AB-9, AB-11

Sl. No.	Category / Type	Area	Total Units	Accommodation For 18th Lok Sabha
		Pt. Pant Marg	4	2, 7, 9, 11-A
		Safdarjung Lane	1	7
		Shahjahan Road	4	AB-90, AB-91, AB-94, AB-95
		South Avenue Lane	1	4
		Teen Murti Lane	4	2, 6, 13, 19
		Teen Murti Marg	1	12
		Tilak Marg	2	AB-11, AB-13
		Tughlak Lane	1	12
	Total		45	
3.	Type- VII – Duplex Flats	North Avenue	32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Total		32	
4.	Type- VII – Flats	Ganga	24	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202
		Yamuna	26	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302
		Saraswati	26	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302
		DDU Marg (B1 Tower)	34	A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17 <i>(A-17 & B-17 – not available for allotment)</i>
	Total		110	

Sl. No.	Category / Type	Area	Total Units	Accommodation For 18th Lok Sabha
5.	Type -VI – Bungalow	Ashoka Road	1	34
		Atul Grove Road	1	30-A
		Pt. Ravi Shankar Shukla Lane (Canning Lane)	11	5, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31
		Ferozeshah Road	11	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 31, 33
		GRG Road	6	2, 5, 8, 9, 10, 19
		Humayun Road	4	C-1/3, C-1/7, C-1/15, C-1/20
		HC Mathur Lane	4	1, 3, 7, 9
		Janpath	4	14, 18, 20, 22
		Lodhi Garden	2	C-1/5, C-1/13
		Mahadev Road	12	2, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28
		Pandara Park	8	C-1/2, C-1/8, C-1/15, C-1/19, C-1/20, C-1/27, C-1/31, C-1/40
		Dr. RP Road	6	18, 20, 22, 24, 26, 30
		Talkatora Road	4	5, 8, 9,10
		Talkatora Lane	2	1, 2-C
		Telegraph Lane	1	4-A
		Tilak Marg	1	C-1/1
		Tilak Lane	2	C-1/7, C-1/10
		Windsor Place	10	4, 6, 11, 12, 12-A, 14, 17, 18, 19, 20
	Total		90	
6.	Type VI – Flats	Gomati	23	B-104, B-201, B-203, B-204, B-301, B-302, B-304, B-401, B-402, B-403, B-404, B-501, B-502, B-503, B-504, B-601, B-602, B-603, B-604, B-701, B-702, B-703, B-704
		Sindhu	18	A-1, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, B-2, B-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7, D-1, D-2, D-4, D-6
	Total		41	

Sl. No.	Category / Type	Area		Total Units	Accommodation For 18th Lok Sabha
7.	Type -VI – MS Flats	Narmada		26	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703, 704, 801, 802, 803, 804
		Kaveri		25	101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 701, 702, 703, 704, 801, 802, 803, 804
	Total			51	
8.	Type -V – Twin Flats	North Avenue	V (A/A)	13	80-82, 104-106, 107-109, 108-110, 123-125, 124-126, 152-154, 156-158, 155-157, 167-169, 168-170, 179-181, 180-182
		South Avenue	V (B/B)	23	1-3, 2-4, 15-17, 16-18, 27-29, 28-30, 33-35, 37-39, 43-45, 44-46, 47-49, 48-50, 101-103, 115-117, 116-118, 127-129, 128-130, 143-145, 144-146, 147-149, 148-150, 171-172, 203-204
	Total			36	
9.	Type-V-Bungalow	Ashoka Road		5	38, 40, 42, 44, 50
		Ferozeshah Road		10	12-A, 12-C, 12-D, 13, 13-A, 13-E, 14-B, 14-C, 14-E, 16-A
		Mahadev Road		1	15
	Total			16	
10.	Type-V – Flats	Rabindra Nagar	V (B)	3	D-1/35, D-1/51, 29
		Tilak Lane	V (D)	2	C-II/5, C-II/32
		Meena Bagh	V (C)	21	1, 8, 9, 10, 11, 12-A, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 44
		North Avenue	V (A)	2	96, 196

Sl. No.	Category / Type	Area		Total Units	Accommodation For 18th Lok Sabha
			V (B)	85	65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 114, 115, 118, 122, 127, 128, 130, 132, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 197, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227
		South Avenue	V (B)	64	5, 6, 10, 13, 14, 20, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 56, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 125, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 142, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 180, 186, 189 <i>(123, 153 & 155 – not available for allotment)</i>
			V (C)	22	22, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 173, 175, 178, 182, 184, 185, 187, 188, 201, 202
	Total			199	
11.	Hostel Type	V.P. House	Double Suite	20	6, 7, 114, 121, 128, 213, 214, 221, 227, 228, 306, 313, 321, 327, 328, 413, 421, 506, 520, 521
			Single Suite	54	2, 3, 9, 10, 15, 25, 26, 109, 110, 117, 119, 125, 126, 201, 202, 205, 208, 210, 212, 215, 216, 217, 219, 224, 225, 308, 309, 311, 312, 315, 318, 319, 322, 323, 324, 401, 408, 409, 412, 417, 423, 424, 425, 501, 508, 509, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 524, 525

AREA-WISE DETAILS OF FLATS

Type V (A)	—	Drawing Room + One Bed Room Set
Type V (B)	—	Drawing Room + Two Bed Rooms Set
Type V (C)	—	Drawing Room + Three Bed Rooms Set
Type V (D)	—	Drawing Room + Four Bed Rooms Set
Combined Flat Type V (A/A)	—	Two Drawing Rooms and Two Bed Rooms Set
Combined Flat Type V (A/B)	—	Two Drawing Rooms and Three Bed Rooms Set
Combined Flat Type V (B/B)	—	Two Drawing Rooms and Four Bed Rooms Set
Hostel Type	—	Single and Double Room Sets in Western Court Hostel and Vithalbhai Patel House
Type VI - M.S. Flat - Narmada and Kaveri (Dr. B.D. Marg)	—	Drawing + Three Bed Rooms + One Office Room + Two Staff Quarters + One Motor Garage
Type VI - MS Flat – Gomti and Saraswati (B.K.S. Marg)	—	Drawing + Three Bed Rooms + Two Staff Quarters + One Motor Garage
Type VII (DDU Marg)		Drawing + Four Bed Rooms + Family lounge + Dinning + One Office with attached toilet + Two Staff Quarters
Type VII (Ganga, Yamuna, Saraswati)	—	Drawing + Three Bed Rooms + One Guest Room + One Family sitting + One Office + Two Staff Quarters + Two Motor Garage

AREA-WISE DETAILS OF STAFF QUARTERS

Sl. No.	Area	Total Units	Accommodation for 18th Lok Sabha
1.	North Avenue	78	50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174
2.	North Avenue (N-Block)	19	N-4, N-8, N-10, N-11, N-12, N-15, N-16, N-17, N-18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28
3.	South Avenue	98	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 101, 102, 103, 105, 106, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 156, 158, 159, 161

Sl. No.	Area	Total Units	Accommodation for 18th Lok Sabha
4.	South Avenue (S-Block)	5	S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
5.	V.P. House	34	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 63, 64, 66
6.	Ferozeshah Road	44	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67
7.	Canning Lane	1	2
8.	Dr. R.P. Road	15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (behind 22A Janpath), 12 (behind 21A Janpath), 13, 14, 29
9.	Aram Bagh	5	8-E, 14-E, 27-H, 55-H, 33-A
10.	Kali Bari Marg	2	226, J-901

AREA-WISE DETAILS OF MOTOR GARAGES

Sl. No.	Area	Total Units	Accommodation for 18th Lok Sabha
1.	North Avenue	24	13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 102, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125
2.	North Avenue (N-Block)	23	N-4, N-5, N-7, N-8, N-10, N-13, N-14, N-15, N-16, N-17, N-18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-25, N-26, N-27, N-29, N-30, N-31, N-33
3.	South Avenue	31	2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120
4.	South Avenue (S-Block)	12	S-1, S-3, S-5, S-6, S-7, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-15, S-16
5.	V.P. House	15	1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26
6.	Canning Lane	5	76, 77, 78, 79, 84
7.	Ferozeshah Road	9	54, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 74, 75
8.	Dr. R.P. Road	2	8, 10
9.	Rabindra Nagar	1	82
10.	Meena Bagh	15	1, 2-B, 6, 7, 8, 10-A, 11, 13, 14-A, 15, 15-A, 16, 17, 21, 22

ANNEXURE III

(Vide Para 7 of Accommodation Circular—May, 2024)

PROCEDURE FOR HANDING/TAKING OVER OF BUNGALOWS/FLATS/HOSTELS

Handing over of Bungalows/Flats/Hostels

(i) When the regular accommodation including temporary accommodation for stay of guest, marriage purpose and Staff Quarter/motor garage allotted to Member is to be given up by the Member, its vacant possession must be given either at the Central Public Works Department Enquiry Officer/or the Reception of the Hostel concerned as the case may be. Till such vacation, Member will be considered to be in occupation of the same. Member will be personally responsible for any loss or damage to the Government property provided in the accommodation. If the loss or damage occurs during Member's *de facto* or *de jure* occupation of the accommodation.

(ii) CPWD Service Centre shall be notified well in advance the proposed date and time of handing over/vacation of the premises / accommodation.

(iii) The Member in whose name the premises stands allotted, should, as far as possible, hand over the possession himself/herself to the CPWD Service Centre. In case the Member wants to get the premises handed over through his / her authorized representative, an authority letter authorizing the representative with his/her attested signature to hand over the possession of the premises and to sign the deficiency report of furniture (if any) should be sent.

(iv) The Member should ensure the compliance of the following formalities before approaching CPWD Service Centre for issue of vacation report.:

- (a) He/She should get the Electricity/Water Connection disconnected from NDMC / other concerned agency and obtain a No Objection Certificate after disconnection from NDMC/other concerned agency regarding upto date payment of electricity and water charges.
- (b) He/She should return the Air-Conditioners, Refrigerators, Coolers, etc. taken on hire from Air-Conditioning Division, CPWD and obtain a 'No Demand Certificate' from them. Similarly, No Demand Certificate from concerned Electrical Divisions, CPWD, shall be obtained in respect of Electrical fittings and fixtures including geysers and blowers etc.
- (c) He/She should return the furniture taken from CPWD to the concerned Service Centre and obtain No Dues Certificate from them. If any deficiency in the furniture is noticed, a report to this effect shall be prepared by CPWD Service Centre and has to be signed by the Member and handed over to the CPWD representative at the time of vacation.
- (d) He/She should get the PNG connections disconnected from IGL and obtain No Objection Certificate after disconnection from IGL regarding upto date payment of consumption charges.

(v) After completing the above formalities, the Member shall hand over vacant possession of flat/bungalow along with staff quarter and motor garage to the concerned CPWD Service Centre.

(vi) Vacation report shall be issued by the CPWD Service Centre after completion of above formalities.

Taking over of Bungalows/Flats/Hostels

(i) A Member to whom a bungalow or a flat or hostel accommodation is allotted is required to give at least three days notice of his/her arrival to the Central Public Works Department Enquiry Office concerned and for the Western Court to the Superintendent of the Western Court Hostel as the case may be.

(ii) The Member shall approach the concerned CPWD Service Centre along with authority slip issued by the Lok Sabha Secretariat personally or through his/her authorized representative whose signature shall be duly attested by the Member with authorization letter for taking over the possession of the accommodation and for signing the inventory of the furniture, etc.

(iii) Occupation/Possession of bungalows/flats including staff quarters and garage (if allotted) shall be given by CPWD Service Centre to the allottee during office hours.

(iv) Only routine works like white-washing, painting, cleaning of premises, etc., shall be carried out by CPWD to make the premises habitable.

(v) Before any requisition for addition/alteration work is given to CPWD, the technical possession of bungalow/flat must be taken over by the allottee. The rental liability shall commence from the date when the premises is made habitable after completion of routine works.

(vi) For any work of addition/alteration, a requisition shall be given by the Member to the CPWD which in turn will prepare the estimate and forward the same to the House Committee for approval. Any work of addition/alteration shall be carried out only after the sanction of House Committee for works costing Rs. 1,50,000/- in total for the full term of the Member of Parliament and beyond that by Ministry of Housing & Urban Affairs.

(vii) CPWD Service Centre shall provide old furniture on written requisitions by the Member. In case the Member desires that the furniture be issued to his/her authorized representative, he/she should send his/her requirement of furniture to concerned CPWD Service Centre along with authorization letter with attested signature of the representative and authority for acknowledging receipt and return of the furniture. The furniture inventory shall be signed by Member himself/herself or his/her authorized representative.

(viii) For supply of new furniture articles, the financial limit for sanction by House Committee for durable and non-durable articles is Rs. 1,00,000/- only for full term of the Member. New furniture articles will be supplied only after sanction to the estimate is communicated by the House Committee.

(ix) Furniture articles costing Rs. 1,00,000/- (Rs. 80,000/- for durable items + Rs. 20,000/- for non-durable items) will be provided rent free. For any furniture taken over and above this limit, additional rent will be charged on durable items 1.2% per month and non-durable 2% per month.

Complaints relating to NDMC/CPWD under Single Window System

(i) Members may lodge their complaints relating to NDMC and CPWD in respect of health, water supply, sewerage, horticulture and civil works under a Single Window System at the following CPWD Enquiry Offices located in MPs residential areas:—

<i>CPWD Enquiry Office</i>		<i>Telephone Nos.</i>
North Avenue Service Centre (including DDU Marg)	—	23093997, 23092891, 23393401

<i>CPWD Enquiry Office</i>		<i>Telephone Nos.</i>
South Avenue Service Centre	—	23016834, 23015250
Ferozeshah Road Service Centre	—	23389738, 23381866
Meena Bagh Service Centre	—	23013289
Vithal Bhai Patel House Service Centre	—	23719780, 23720723
M.S. Flat Dr. B.D. Marg	—	23324084, 23739558

(ii) For complaints in respect of inadequate water supply, blockage of sewer line and non-removal of garbage, complaint may also be made to NDMC Control Room Phone Nos. 23743642, 23360683, 20819818, 24647295 (sewer line), 23348300/301, 23742752 (for garbage removal).

ANNEXURE IV

(Vide Para 7 of Accommodation Circular—May, 2024)

RENTAL RESPONSIBILITY IN CONNECTION WITH ALLOTMENT OF LOK SABHA MEMBERS' POOL ACCOMMODATION

(a) Acceptance/occupation of allotted accommodation:

- (i) Member is required to accept or refuse the allotment within 8 days of the issue of allotment letter.
- (ii) Member who has accepted an allotment is required to take technical occupation of the accommodation within 8 days from the issue of the authority slip.
- (iii) Member when given change of accommodation is required to shift from one residence to another within 3 days from the date of habitability of new accommodation.

(b) Accommodation will, however, be liable for re-allotment to another Member on the waiting list, who has not been provided with accommodation if it remains unoccupied beyond the offered period.

(c) These conditions may, however, be relaxed in individual cases by the House Committee or the Chairperson, House Committee.

(d) **Rental Responsibility:**

- (i) *Bungalow Type Accommodation*—When a Member of Lok Sabha who is without accommodation is allotted a regular accommodation and such allotment is duly accepted by him/ her, his/her responsibility for payment of rent, etc. in case of Bungalow type accommodation would commence from the date of physical occupation of such accommodation.
- (ii) *Change of Accommodation*—When the Member is allowed a change from one residence to another and such a change is duly accepted by him/her, his/her responsibility for payment of rent, etc., in respect of the newly allotted residence would commence from the 4th day from the date of occupation and his/her allotment of the old residence would be deemed to have been cancelled from the 4th day from the date of physical occupation of new residence and rent etc. at market rate will be charged for the old residence till finally surrendered and vacated subject to the *proviso to Rule 5 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended)*.
- (iii) *Flat/Hostel Type Accommodation*—In case of Flat and Hostel type accommodation which is allotted to a Member free of licence fee, the Member is liable to pay market rate of licence fee in respect of the accommodation originally under his/her occupation if not vacated in time or market rate of licence fee of the accommodation allotted as change if not occupied in time as per rules laid down above.
- (iv) *Additional Accommodation*—Rent for any additional accommodation provided to a Member shall be chargeable at a market rate. (This includes temporary allotments for marriage/guests in MP Flats or in Western Court or any other place). The allotment of extra-servant quarters/garages, etc. shall be similarly regulated.
- (v) *Transit Accommodation*—In case Member is in occupation of transit accommodation provided in V.P. House, State Guest House, State Bhawan, Western Court Hostel/Annexe or anywhere else for which Government is responsible for reimbursement of rent, he/she will vacate the same within 14 days after he/she occupies

the regular accommodation allotted to him/her. In case the Member fails to do so, he/she will be responsible for payment of rent of such transit accommodation.

- (vi) Date of occupation of accommodation will be reckoned from the date the occupation report prepared by the CPWD and is signed by the Member or his/her authorised representative. Similarly, date of vacation of accommodation will be reckoned from the date of the vacation report prepared by the CPWD.

ANNEXURE V

(Vide Para 8 Accommodation Circular May, 2024)

लोक सभा सदस्यों को स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र
APPLICATION FOR ALLOTMENT OF STAFF QUARTER OF
MEMBERS OF LOK SABHA

सेवा में / To

उप सचिव / The Deputy Secretary
सदस्य सेवा शाखा / MS Branch
लोक सभा सचिवालय / Lok Sabha Secretariat
संसदीय सौध / Parliament House Annexe
नई दिल्ली / New Delhi-110001

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे मेरे नौकर के प्रयोगार्थ एक स्टाफ क्वार्टर अलाट किया जाए। मेरे नौकर के विषय में विवरण नीचे दिया गया है:-

I am to request you kindly to allot a Staff Quarter to me for the use of my servant. The particulars of my servant are given below:—

1. घरेलू स्टाफ/ड्राइवर संबंधी ब्यौरा

Particulars of the domestic staff/driver:—

- (i) नाम.....
आयु.....वर्ष
Name.....
Age.....years

सदस्य द्वारा सत्यापित नौकर
का फोटोग्राफ
Photograph of servant duly
attested by Member

- (ii) पिता का नाम
Father's Name.....
(iii) फोटो पहचान पत्र सं./Photo I.D. No.....

(कृपया राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/लो.स.स. अथवा किसी अन्य नियोक्ता एजेंसी द्वारा जारी पहचान-पत्र की प्रति संलग्न करें)
(Please enclose a copy of Ration Card/Driving Licence/I. Card issued by LSS/or any other employing agency)

- (iv) स्थायी पता/Permanent
Address:.....
मोहल्ला/Mohalla.....
डाकखाना/PostOffice.....
जिला/District.....
राज्य/State.....

- (v) पहचान के लिए कोई दो प्रत्यक्ष चिन्ह
Any two visible identification marks:

(vi) स्टाफ का सामान्य चित्रण जिससे अनजान व्यक्ति/स्टाफ को पहचान सके

General description which may help recognition of the Staff to unknown persons

2. जिन अन्य व्यक्तियों/नौकर/स्टाफ ड्राइवर के परिवार के सदस्यों के लिए आवास की आवश्यकता है उनके कुटुम्ब का व्यौरा:-

Particulars of other persons/family members of the servant/staff/driver for whom accommodation is required, if any:—

क्रमांक Sl. No.	नाम Name	आयु Age	सम्बन्ध Relationship with Guest

3. क्षेत्र/मंजिल की वरीयता/Locality/Floor preferred.....

4. सदस्य द्वारा प्रमाणित/Certified by the Member:—

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया अतिथि(यों) संबंधी विवरण मेरे संज्ञान तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतया सच है। श्रीजिनके लिए मुझे एक स्टाफ क्वार्टर की आवश्यकता है, मेरे नियमित घरेलू स्टाफ/मेरी कार के ड्राइवर हैं। मेरी बारी आने पर जब मुझे स्टाफ क्वार्टर अलाट कर दिया जाएगा तो मैं उसका उपयोग अपने घरेलू स्टाफ/ड्राइवर (और उसके कुटुम्ब) के लिए ही निवास स्थान के रूप में करूंगा/करूंगी, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

I hereby certify that the details of guest(s) given above are true to the best of my knowledge and belief Shri For whom I require a Staff Quarter is my bonafide domestic staff/driver of my Car No. A Staff Quarter when allotted to me in my turn will be utilized as a residence for my aforesaid domestic staff (and his family) only and for no other purpose.

.....
हस्ताक्षर/Signature

संसद सदस्य का नाम.....

Name of the MP

(मोटे अक्षरों में/in Block Letters)

निर्वाचन क्षेत्र/Constituency.....

पहचान पत्र सं./Identity Card No.

- नोट: 1. जिस मोहल्ले में सदस्य को आवास आवंटित किया जाता है वहां उपलब्ध होने पर ही स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया जायेगा।
2. यदि सभी अपेक्षित उपरोक्त विवरण नहीं दिए गए हैं तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

- N.B.: 1. Staff Quarter will be allotted subject to availability in the locality where the residence is allotted to a Member.
2. This application will not be entertained if all the particulars required above have not been furnished.

ANNEXURE VI

(Vide Para 8 of Accommodation Circular May, 2024)

लोक सभा सदस्यों को मोटर गराज के आवंटन
के लिए आवेदन-पत्र

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF MOTOR GARAGE TO
MEMBERS OF LOK SABHA

सेवा में/To

उप सचिव/The Deputy Secretary
सदस्य सेवा शाखा/MS Branch
लोक सभा सचिवालय/Lok Sabha Secretariat
संसदीय सौध/Parliament House Annexe
नई दिल्ली/New Delhi-110001
विषय: मोटर गराज का आवंटन
Subject: Allotment of a Motor Garage

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे मेरे फ्लैट/बंगला संख्या.....के निकट एक मोटर गराज आवंटित की जाए। मेरी कार के विषय में विवरण नीचे दिया गया है:-

I request you kindly to allot me a motor garage near my flat/bungalow No. allotted to me. The particulars of my car are given below:—

1. रजिस्ट्रेशन संख्या/Registration No.
2.में पंजीकृत.....के नाम पंजीकृत है।
Registered at.....in the name of.....
3. कार का नाम/Make of the car.....
4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि/I certify that:—
 - (i) ऊपर उल्लिखित कार मेरे स्वामित्व में है/
the car specified above is owned by me,
 - (ii) जब मुझे गराज आवंटित कर दी जायेगी तो मैं उसका उपयोग अपनी कार रखने के लिए ही करूंगा/करूंगी, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं; और
the garage when allotted will be used only for keeping my car and for no other purpose whatsoever; and
 - (iii) आवश्यकता नहीं होने पर गराज छोड़ दी जायेगी/
the garage will be surrendered when not required.

5. ड्राइवर का नाम (स्वयं चलाने की स्थिति में लागू नहीं)

Name of the Driver.....(*N. A. in case of self-driven*)

लाइसेंस सं. किस तिथि तक वैध है

Licence No.with upto the date of validity

भवदीय/Yours faithfully

.....

हस्ताक्षर / Signature

संसद सदस्य का नाम.....

Name of the MP.....

(मोटे अक्षरों में/in Block Letters)

दिनांक/Date.....

निर्वाचन क्षेत्र/Constituency.....

स्थान/Place.....

पहचान पत्र सं./Identity Card No.

-
- नोट: 1. सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने नाम में पंजीकृत वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की एक फोटो प्रति संलग्न करें।
2. जिस मोहल्ले में सदस्य को निवास स्थान दिया जाता है वहां मोटर गैराज उपलब्ध होने पर अलाट किया जायेगा।

- N.B. 1. Member is requested kindly to enclose a photocopy of registration certificate in respect of vehicle registered in his/her own name.
2. Motor Garage will be allotted, subject to the availability in the locality where the residence is allotted to a member.

ANNEXURE VII

(Vide Para 12 of Accommodation Circular, May 2024)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

APPLICATION FOR PROVIDING TELEPHONE FACILITIES TO A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)

Dated _____

From _____, M.P.

(Name in Block Letters)

To

The Deputy Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

Kindly arrange to provide me the following telephone related facility(ies) under Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended):

(kindly tick the box against the request opted for):

A. Landline Telephone Connections					
Sl. No.		New Connection	Convert Existing No. to MP connection under the Rules	Address/ Location	Nearest Telephone Exchange
(i)	Connection 1 <i>(New Delhi)</i>		_____ (Existing Tel. No.)		
(ii)	Connection 2 <i>(usual place of residence/ a place situated within the State in which my constituency is located/ within the State in which I reside)</i>				
(iii)	Connection 3 <i>(New Connection for internet connectivity)</i>	<input type="checkbox"/> (a) At my office situated in my residence in Delhi or New Delhi; or <input type="checkbox"/> (b) At my usual place of residence; or <input type="checkbox"/> (c) At a place, selected within my constituency or State; or <input type="checkbox"/> (d) Within the State in which I reside.			

B. Broadband Internet Facility						
Sl. No.					Address and Telephone	Nearest Telephone Exchange
(i)	Broadband Internet Connection	<input type="checkbox"/> (a) At my office situated in my residence in Delhi or New Delhi; or <input type="checkbox"/> (b) At my usual place of residence; or <input type="checkbox"/> (c) At a place, selected within my constituency or State; or <input type="checkbox"/> (d) Within the State in which I reside as per particulars mentioned.				
(ii)	Additional Broadband Connection	<i>(against ten thousand surrender calls per annum)</i> Address: _____ _____				

C. Fibre To The Home (FTTH)
Address at Delhi / New Delhi on which FTTH is required

D. Mobile Phone Connection	
First Mobile Connection in Delhi / New Delhi (MTNL) / (BSNL)	<input type="checkbox"/> Option 1: New BSNL connection in Delhi with National Roaming Facility <div style="text-align: center;">OR</div> <input type="checkbox"/> Option 2: Convert my existing MTNL Mobile No. _____ to MP Connection with National Roaming Facility
Second Mobile Connection (with National Roaming Facility)	Existing MTNL/BSNL Mobile Connection No. _____ <input type="checkbox"/> Option 1: New BSNL connection in Delhi (Applicable to Hon'ble MPs from Delhi Constituencies) <div style="text-align: center;">OR</div> <input type="checkbox"/> Option 2: New BSNL Mobile Phone connection in my Constituency _____, District _____, State _____ <div style="text-align: center;">OR</div> <input type="checkbox"/> Option 3: Convert my existing Postpaid connection of MTNL/BSNL bearing Number _____ (which is working in my name only) to MP quota and provide National roaming.

2. The above telephone facility(ies) may be installed at _____ hours on _____ (date).

3. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues in excess of those payable under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above telephone / telephone facility(ies).

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

State _____

ANNEXURE VIII

(Vide Para 14 of Accommodation Circular-May, 2024)

OTHER FACILITIES RELATING TO HOUSING ETC. AVAILABLE TO MEMBERS OF LOK SABHA

1. Every Member shall be entitled, without payment of charges, to the supply of water upto 4000 KL and electricity upto maximum of 50,000 units per annum (25,000 units each on light/power meters or pooled together) in respect of any accommodation allotted to him/her by House Committee or in respect of any private accommodation occupied by the Member in Delhi. If both husband and wife are Members of either House of the Parliament and are residing in the same accommodation, the electricity in units and water in kilolitres shall be calculated separately.

2. Where in respect of any accommodation, licence fee is payable on account of any improvement or addition made to it or any additional service provided thereto, it shall be twenty-five per cent less than the normal rent payable in respect of such improvement, addition or additional service.

3. Furniture shall be made available free of charge to the Members within the existing monetary ceiling of Rs. 80,000/-, in respect of durable furniture and Rs. 20,000/- for non-durable furniture respectively. However, additional provision such as tiles in bathroom and kitchen and the facility of washing of sofa covers and curtains after every three months, the same shall be provided free of cost to the Members. The rent for additional items of furniture shall be charged on the depreciated value of the furniture so made available at the residence of a Member.

Explanation I. — "Improvement or addition" means the provision of additional accommodation, furniture, table and pedestal fans, table lamps, floor standard lamps, boilers, refrigerators, desert coolers and air-conditioning units.

Explanation II. — "Furniture: means such items of furniture as are admissible to a Member for a residence allotted to him/her and includes any additional items taken on rent by him/her.

Explanation III. — "Additional Service" means:

- (a) the provision of Safai Karamcharis, Jamadars and the staff attached to Members' residences with dusters and brooms;
- (b) the supply of electric bulbs at the residences of Members;
- (c) the maintenance of flower beds;
- (d) the maintenance of any place (like an Enquiry Office) intended for the common benefit of Members; and
- (e) any other service provided for the common benefit of Members.

4. **Rebate**— Sometimes on request being made by Members, additions/alterations in the form of additional accommodation is carried out at the residences of the Members and furniture and other items of electrical appliances are supplied at their residences. The Members are liable to pay additional rent for such additions/alterations as also furniture items and additional services with 25% rebate as provided in the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended).

5. The light, power and water connections, for bungalows/flats can be obtained from the New Delhi Municipal Council (NDMC) on deposit of security money. No security deposit is necessary in the case of Vithalbhai Patel House, Western Court Hostel and, Western Court Annexe where sub-meters have been provided by the Government. Every Member, in respect

of any accommodation allotted to him/her, is entitled without payment of charges to the supply of water and electricity as mentioned at para I above.

6. The Suites in Vithalbhai Patel House at Rafi Marg have been provided with independent kitchenettes. No Member shall be allowed to use coke/charcoal/firewood in the kitchen. He/she would make his/her own arrangements for gas/ electric stove, etc. in these Suites.

7. In the Western Court Complex, messing / cooking facility is available. In bungalows or flats the Members are required to make their own mess / canteen arrangements.

N.B. — 1. (i) Under the Housing and Telephone Facilities (MPs) Rules, 1956 (as amended), Members are entitled to avail housing facility in the form of Flat type accommodation along with one unit of Staff Quarter and Motor Garage free of cost. However, due to shortage of Motor Garage in Lok Saha Pool MP's, Motor Garage will be allotted subject to availability.

(ii) The rent for bungalow type accommodation including rent of Staff Quarters and Motor Garage is subject to a maximum of Rs. 105/- p.m.

2. (i) Durable furniture of the cost of Rs. 80,000/- and non-durable furniture of Rs. 20,000 are rent free.

(ii) Rent for durable furniture above the cost of Rs. 80,000/- will be charged @ 1.2% per month and for non-durable furniture above the cost of Rs. 20,000/- will be charged @ 2% per month.

3. The rent/charges for services is chargeable as determined by the Government from time to time.

(i) The charges for additional services in respect of bungalows represent the share of expenditure on services such as pay of safai karamchari and jamadars and materials for the staff, such as dusters, brooms, etc.

(ii) The charges for additional services in respect of flats at North and South Avenues, include share of expenditure on conservance for common place and share of:—

- (a) Rent of accommodation, furniture, refrigerators and other articles and services provided in common halls;
- (b) Charges of electricity consumed in Badminton Courts at North Avenue and South Avenue;
- (c) Share of rent of canteens at North Avenue and South Avenue furniture, etc. provided therein; and
- (d) Share of rent providing of partition hedges in the common lawns of North and South Avenues; providing and fixing R.C.C. posts as obstacles at the end of approaches at North and South Avenues; providing small urinal stalls over the terrace of flats on first floor at North and South Avenues, and providing iron bars to windows and ventilators in first floor flat at North/South Avenues.

(iii) The charges for additional services in respect of flat at Meena Bagh include the water charges for the servant quarter attached to each flat.

4. Additional rent is recoverable on account of addition and alterations made in bungalows, flats, staff quarters, garages, etc. from time to time over and above the usual rent.

5. No charges for maintenance of flower and vegetable beds will be recoverable from Members who do not desire this work to be carried out by the *malis* of the CPWD.

6. No rent of scale furniture is recoverable if the residences are allotted and occupied as unfurnished. Proportionate rebate in rent for scale furniture is admissible on the articles of scale furniture returned.

7. In the case of suites in Vithalbhai Patel House the charges of Electricity & Water consumption are recoverable in addition on the basis of meter readings.

8. (i) The following items are also supplied to Members on rental basis through CPWD Enquiries/Service Centres:—

- (a) Refrigerator (large, medium or small) — one.
- (b) Air Conditioner (Split/Window type)/climatiser — For each Drawing and Bed Room.
- (c) Desert Cooler/Room Cooler — In place of Air Conditioner, if required.
- (d) Room Heater/Blower — for each Drawing and Bed Room.
- (e) Insect Killer — for each Drawing and Bed Room.
- (f) Boiler/Geyser (25 ltr. or 35 ltr. or 50 ltr.) — One.
- (g) Water Purifier/RO — One. (Rent free)
- (h) The rent for the above electrical items is chargeable as determined by the Government from time to time.

(ii) The above items will be supplied through CPWD Enquiries/Service Centres on availability of stock whether new or old.

9. Besides, Solar Water Heating System have been installed at the residences of Members in New Delhi. Similarly in some areas, Piped Natural Gas (PNG) is being supplied at the residences of Members through Indraprastha Gas Limited (IGL) in New Delhi.

10. Rates of rent and other services/items of all residences are provisional and are subject to revision with retrospective effect.

ANNEXURE IX

(Vide Para 14 of Accommodation Circular, May 2024)

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF REFRIGERATORS AND AIRCONDITIONERS IN DELHI AND NEW DELHI TO MEMBERS OF LOK SABHA

1. Name (Block Letters):
2. Residence occupied:
3. Whether the residence is fitted with—
 - (i) Power Plug:
 - (ii) Power Meter:
4. No. and capacity of Refrigerator/ACs:
5. Whether the Refrigerator/ACs is required for—
 - (i) the whole year:
or
 - (ii) temporarily (state period):
6. Whether any Refrigerator/ACs was supplied during preceding year/ If so, please state whether the Refrigerator/ACs supplied was—
 - (i) for the whole preceding year:
or
 - (ii) temporarily (state period):
7. No. and capacity of Refrigerator/ACs supplied (state size, if known):
8. Permanent Address:

I will pay rental/deficiency charges, if any, as per the rules.

Dated:

Signature of the Member

Constituency No.

Identity Card No.

To,

The Deputy Secretary/Executive Officer,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

ANNEXURE X

(Vide Para 12 of Accommodation Circular, May 2024)

APPLICATION FOR VALUE ADDED SERVICE ON 3G, IPAD FOR A MEMBER OF
PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES
(MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956
(AS AMENDED)

Dated:

From:

_____, M.P. (Lok Sabha)

(Name in Block Letters)

To

The Deputy Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi-110 001.

Reference: Lok Sabha Secretariat Bulletin No. 3573 dated 27th December, 2011.

Sir/Madam,

Kindly arrange one of the following facilities with national roaming facilities from MTNL Delhi or BSNL:

- (i) Mobile Chip and connection of Ipad (unlimited free data download) *in lieu* of local calls equivalent to Rs. 999/-per month, to be adjusted from the quota of calls admissible to me; or,
- (ii) Unlimited 3G Data Usage and instant messaging Data Card 3.6 Mbps as per 3G Plans provided to Members; *in lieu* of local calls equivalent to Rs. 999/- to be adjusted from the quota of free call; or
- (iii) Mobile TV on the existing 3G Mobile Set and Mobile connection (No.) *in lieu* of local calls equivalent to Rs. 75/- per month to be adjusted from the quota of calls admissible to me; or
- (iv) Free missed Call Alerts.

I clearly understand that the monthly amount shown as above will be deducted from the quota of free calls admissible to me.

I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess of those payable under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above service.

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____